विशेषाधिकार समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

4

चौथा प्रतिवेदन

श्री टी.आर.बालू और डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्यों द्वारा कथित तौर पर अनादरपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार के लिए मुख्य सचिव, तमिलनाडु के विरूद्ध दी गई दिनांक 14 मई 2020 की विशेषाधिकार हनन की सूचनाएं और 16 मई 2020 की उत्तरवर्ती सूचना ।

[24 मार्च 2022 को अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया।]

[30 मार्च 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।]

सत्यमेव जयते

अभिप्रमाणित

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

सभापति
विशेषाधिकार समिति

विशेषाधिकार समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

चौथा प्रतिवेदन

श्री टी.आर.बालू और डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्यों द्वारा कथित तौर पर अनादरपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार के लिए मुख्य सचिव, तमिलनाडु के विरुद्ध दी गई दिनांक 14 मई 2020 की विशेषाधिकार हनन की सूचनाएं और 16 मई 2020 की उत्तरवर्ती सूचना ।

[24 मार्च 2022 को अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया।]

[30 मार्च 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।]

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय-सूची

पृष्ठ

विशेषाधिकार समिति की संरचना iv

प्रतिवेदन 1

समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश 30

परिशिष्ट - एक 39

परिशिष्ट - दो 50

विशेषाधिकार समिति की संरचना

श्री सुनील कुमार सिंह - सभापति

सदस्य

2. श्री टी.आर.बालू
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री राजू बिष्ट
5. श्री दिलीप घोष
6. श्री सी. पी. जोशी
7. श्री नारणभाई काछड़िया
8. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
9. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर
10. श्री तालारी रंगैय्या
11. श्री राजीव प्रताप रूडी
12. प्रो. अच्युतानंद सामंत
13. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
14. श्री गणेश सिंह
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री पी.सी.त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
3. श्री बाला गुरू जी - उपसचिव
4. डॉ. फैज़ अहमद - अवर सचिव

विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

एक. प्रस्तावना और प्रक्रिया

मैं, विशेषाधिकार समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, श्री टी.आर.बालू और डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्यों द्वारा कथित तौर पर अनादरपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार के लिए मुख्य सचिव, तमिलनाडु के विरूद्ध दी गई दिनांक 14 मई 2020 की विशेषाधिकार हनन की सूचनाओं और दिनांक 16 मई 2020 की उत्तरवर्ती सूचना के संबंध में यह चौथा प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने इस मामले में कुल चार बैठकें आयोजित की। इन बैठकों के सुंसगत कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन का भाग हैं और इसके साथ संलग्न हैं।

3. समिति ने 24 सितम्बर, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में इस विषय से संबंधित ज्ञापन पर विचार किया और डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्य को शपथ दिलाकर उनका साक्ष्य भी लिया।

4. समिति ने 12 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में श्री टी.आर. बालू, संसद सदस्य को शपथ दिलाकर उनका साक्ष्य लिया।

5. समिति ने 9 दिसम्बर, 2021 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में श्री के. षणमुगम, पूर्व मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार को शपथ दिलाकर उनका साक्ष्य लिया।

6. समिति ने 9...मार्च,2022को आयोजित अपनी चौथी बैठक में इस प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और कुछ विचार-विमर्श के पश्चात इसे स्वीकार किया। इसके बाद, समिति ने सभापति को प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और इसे लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करने तथा तत्पश्चात, इसे सभा पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया।

दो. मामले के तथ्य

7. श्री टी.आर. बालू और डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्यों ने अपनी दिनांक 14 मई 2020 की सूचनाओं के द्वारा उनके साथ कथित तौर पर अनादरपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार के लिए मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार के विरूद्ध 'विशेषाधिकार हनन' का आरोप लगाया था। सदस्यों ने आरोप लगाया था कि वे लोक सभा के तीन अन्य सदस्यों के साथ मिलने का समय लेकर तमिलनाडु के लोगों से प्राप्त एक लाख अभ्यावेदन देने के लिए मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार से मिले थे जिसमें उन्होंने सरकार से कोविड-19 महामारी से पीड़ित लोगों को समय पर राहत देने का अनुरोध किया था। सदस्यों ने आगे यह भी आरोप लगाया कि मुख्य सचिव ने उनके साथ जरूरी शिष्टाचार नहीं दिखाया और अवमानपूर्ण व्यवहार करते हुए उनका अनादर किया जो कि उनके अनुसार 'अवमानना' और 'विशेषाधिकार हनन' के समान है और उपर्युक्त अधिकारी के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन और अवमानपूर्ण व्यवहार के लिए कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया। श्री टी.आर. बालू, संसद सदस्य ने

अपनी दिनांक 14-05-2020 की विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के क्रम में दिनांक 16-05-2020 के एक अन्य पत्र के द्वारा बताया कि मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार ने अपने अजीब व्यवहार के द्वारा उन्हें और अन्य सांसदों को बाधा पहुंचाई जो कि उनके नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मण्डल में थे। उन्होंने आगे कहा कि बैठक के दौरान जिस प्रकार मुख्य सचिव ने द्वेषपूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार किया उसने उन्हें उनके चैम्बर में प्रवेश करते ही असहज कर दिया और अपना काम पूरा किये बिना निराशा में बैठक समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए, माननीय सदस्य ने इस मामले को 'विशेषाधिकार हनन' का मामला मानने के लिए और तदनुसार उचित कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया। (परिशिष्ट-एक)

8. सुस्थापित परिपाटी के अनुसार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के माध्यम से इस मामले में तमिलनाडु सरकार से एक 'तथ्यात्मक टिप्पण' मांगा गया था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने दिनांक 30 जून 2020 को 'तथ्यात्मक टिप्पण' अग्रेषित किया था (परिशिष्ट-दो), जिसमें यह बताया गया था कि तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने अपनी बातचीत में माननीय संसद सदस्यों के साथ अनादरपूर्ण अथवा अपमानजनक व्यवहार नहीं किया था और उनके मन में निर्वाचित और जनप्रतिनिधियों के लिए सर्वोच्च सम्मान का भाव है।

9. चूंकि, सदस्यों की विशेषाधिकार की सूचनाओं और तमिलनाडु सरकार द्वारा अपने 'तथ्यात्मक टिप्पण' में प्रस्तुत उत्तर/स्पष्टीकरण में उल्लेख किए गए कथन/दलील में कुछ विरोधाभास था इसलिए इस मामलें को माननीय अध्यक्ष के समक्ष विचारार्थ और आदेश पारित करने के लिए रखा गया जिन्होंने नियम 227

के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 9 सितम्बर 2020 के आदेश के द्वारा इस मामलें को जांच करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया।

तीन. साक्ष्य

डॉ कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्य का साक्ष्य

10. डॉ कलानिधि वीरास्वामी ने 24 सितंबर, 2020 को समिति के समक्ष अपने साक्ष्य के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत् बताया:

"महोदय जैसा कि आप जानते हैं हम कोविड-19 महामारी का सामना कर रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान तमिलनाडु में ऐसे बहुत से लोग थे जो भोजन उपलब्ध न होने के कारण भूख से मर रहे थे; और उन्हें दवाईयां नहीं मिल सकीं; और वे किसी धर्मार्थ कार्य की आशा कर रहे थे। इसलिए, हमारी पार्टी के नेता ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें सभी पार्टी सदस्यों से उन लोगों के लिए भोजन वितरित करने और जो भी सहायता हो सकती है वह करने के लिए कहा क्योंकि उस समय अधिकांश दवाइयों की दुकानें बंद थी और इसलिए लोगों को दवाई लेने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए हम अपना पूरा प्रयास कर रहे थे और हमने एक नंबर बनाया जिसपर वहां रहने वाले लोग कॉल कर सकते थे और पार्टी के संबंधित व्यक्ति को यह बताया गया कि उन लोगों को राहत की जरूरत है। हमें अन्य स्थानों से भी बहुत सी सूचनाएं मिली थी। अन्य राज्यों के लोगों ने भी हमारे सांसदों को फोन किया और हम अपना भरसक प्रयास कर रहे थे। हम प्रवासी श्रमिकों और अन्य लोगों को जिन्हें आवश्यकता थी उन्हें भोजन और दवाइयां वितरित कर रहे थे और हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य में लगा हुआ था।

यथासंभव भोजन और दवाइयां वितरित करने के बाद हमें बहुत से अनुरोध प्राप्त हुए थे जिनमें लोगों ने परिवार में किसी की मृत्यु होने के कारण अथवा वहां फंसे होने के कारण क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था, एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने अथवा देश के बाहर से अपने देश में आने के बारे में पूछा था। उस स्थिति में हमनें उन लोगों को पर्याप्त सहायता देने के लिए विदेश मंत्रालय को लिखा था क्योंकि इन मामलों में केवल महोदयकार ही विचार कर सकती थी क्योंकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना राज्य अथवा केंद्र महोदयकारों की परिधि में आता है। इसलिए हमनें तमिलनाडु के मुख्य सचिव से मिलने का समय मांगा और उन्होंने हमें 5 बजे का समय दिया। हम बहुत से वर्गों जोकि भोजन और परिवहन की सहायता की तलाश कर रहे थे क्योंकि वे भारत अथवा चेन्नई वापस लौटना चाहते थे, की याचिकाएं लेकर वहां गए। हम यह सब दस्तावेज उनके पास लेकर गए। जब हम वहां गए, जैसे ही हमनें कमरे में प्रवेश किया तो मुख्य सचिव अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और वह आकर एक सौफे पर बैठ गए। सामाजिक दूरी के मानकों का पालन नहीं किया गया था। वहां एक तीन सीट वाला और एक सिंगल सीट वाला सोफा था। वह एक कुर्सी पर बैठ गए। हम चार वहां थे और एक मेडिकल डॉक्टर होने के नाते मैं सामाजिक दूरी के मानक के बारे में चिंतित था और मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद तीन सीट वाले सौफे पर दो लोग बैठेंगे और दूसरा व्यक्ति वहां बैठेगा। इसलिए मैंने स्वयं एक कुर्सी खींच ली-जहां मुझे किसी प्रकार की मदद नहीं दी गई जबकि वहां बहुत से अर्दली मौजूद थे - मैंने अपनी कुर्सी खींची और जब मैं बैठने जा रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ कि तीन सांसद तीन सीट वाले सोफे पर बैठ गए क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने सोचा था कि यह भी हाथ से निकल रहा था। इसलिए मैं वहां जाकर बैठ गया। इसके बाद, वित्त सचिव भी वहां थे और उस दिन माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाना था। बजट पेश किया जा

रहा था और टीवी पूरी आवाज में चल रहा था। हम सब मास्क पहने हुए थे और मैं मुख्य सचिव और अपनी पार्टी के नेता श्री टी.आर. बालू के बीच हो रही चर्चा से बहुत दूर बैठा हुआ था। जब वे बैठकर बात कर रहे थे। मै यह भी नहीं सुन पाया कि वे क्या चर्चा कर रहे थे। इसलिए मैने वित्त सचिव से अनुरोध किया, जो वहीं टेलीविजन देख रहे थे, और कहा, 'कि वहां जो कुछ हो रहा है मैं उसे सुन नहीं पा रहा हूं, क्या आप टीवी की आवाज कम कर सकते है। जैसे ही मैने यह कहा और मैने यह तमिल में कहा था और उन्होंने उसे समझा और आवाज कम कर दी। वित्त सचिव ने कहा कि आवाज कम मत करो क्योंकि मैं इसे सुन रहा हूं। मैंने कहा ठीक है क्योंकि मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां थे। मैं इस बात को तूल नहीं देना चाहता था। क्योंकि उन दोनों के बीच जो बात हो रही थी मैं उसमें से एक भी शब्द नहीं सुन पाया इसलिए मैंने अनुरोध किया कि यहां जो हो रहा है मैं भी उसे सुनना चाहता हूं और आप आवाज कम करने की कृपा करें। मैंने देखा कि जब बातचीत हो रही थी तो मुख्य सचिव बीच-बीच में टेलीविजन की ओर देख रहे थे। इसलिए मैं देख रहा था कि वह हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमारी पार्टी के नेता, श्री टी.आर.बालू ने पूरी स्थिति के बारे में बताया और उनकी यह पुरानी आदत है कि जिससे उन्होंने अनुरोध किया है वह उससे पूछते हैं कि उन्हें पार्टी के नेताओं को क्या कहना चाहिए और उन्हें मीडिया को क्या कहना चाहिए क्योंकि हम जब भी इस तरह के कार्यक्रम में जाते है और मीडिया हमसे पूछता है कि क्या हुआ और मुख्य सचिव ने क्या कहा। चार सांसद वहां पर थे - श्री टी.आर. बालू, दयानिधि मारन, टी.सुमति और मैं, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी। मुख्य सचिव को सारी बात बताने के बाद हमारे दल के नेता ने मुख्य सचिव से पूछा कि मुझे मीडिया से क्या कहना चाहिए क्योंकि वे क्या आशा करते है कि हमें दो दिन, एक सप्ताह अथवा एक माह में कार्रवाई करनी पड़ेगी। वे जो भी उत्तर देते हैं हम मीडिया को बता देते है। इसलिए उन्होंने कहा, 'हमारे पास बहुत

सारी याचिकाएं है हमारे पास इन चीजों को तत्काल देखने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं है और वे उत्तर देंगे।' जब श्री टी.आर. बालू ने कहा कि हम क्या करने जा रहे है हमें इसके बारे में मीडिया और अपने पार्टी प्रमुख को उत्तर देना है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोविड-19 महामारी के कारण पर्याप्त कर्मचारी नहीं है और हम बहुत कम कर्मचारियों के साथ कार्य कर रहे हैं। श्री टी.आर.बालू ने कहा कि क्या मैं मीडिया को यह बताऊं कि आप कम कर्मचारियों के साथ कार्य कर रहे हैं? उन्होंने जैसे ही यह कहा तो मुख्य सचिव ने कहा कि आप लोगों की यही समस्या है। वह चिल्लाए और उठ कर खड़े हो गये। शुरू में जब हम अंदर आये तो हमारा स्वागत नहीं किया गया बल्कि हमने यह सोचा कि हम बड़े उद्देश्य के लिए आये हैं इसलिए इन सब चीजों को छोड़ो। किन्तु अचानक उनके यह कहते हुए भड़कने की कोई जरूरत नही थी कि आप लोगों की यही समस्या है। श्री टी.आर. बालू जी चकित रह गये क्योंकि उन्होंने उन्हें भड़काने के लिए कुछ भी नहीं कहा था और वह खड़े होकर कहने लगे कि आपका यह कहने का क्या मतलब है कि आपकी यही समस्या है। उन्होंने कहा कि आप नेता लोग इस तरह की चीजों को मुद्दा बना लेते है। तब हमने कहा कि हम केवल यह जानना चाहते हैं कि हम मीडिया को क्या बताएं। उन्होंने कहा कि आप जाइए और जो चाहे वह बताएं। इसलिए बैठक इतने असभ्य व्यवहार के साथ समाप्त हुई और हमारे पास कोई विकल्प नही था। वह मुड़कर चले गए और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। हमारे पास कमरे से बाहर जाने के अतिरिक्त ओर कोई रास्ता नहीं था। इसलिए हम बाहर आ गए।"

11. 14 मई 2020 को होने वाली बैठक के लिए मुख्य सचिव से मिलने का समय मांगे जाने की तारीख और समय के बारे में पूछे जाने पर सदस्य ने निम्नवत बताया:-

"मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। मुझे यह याद नहीं है कि 13 मई थी या 14 मई थी। किन्तु मुझे याद है कि उस दिन वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण भाषण दे रही थीं और कोविड-19 के कारण आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रही थीं। हमने उस दिन के लिए कोई समय नहीं मांगा था। हमने मुलाकात का समय मांगा था और वह दिन दिया गया था।"

12. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने बैठक से एक दिन पहले मिलने का समय मांगा था और क्या यह सच है कि उन्होंने आपसे तुरंत मिलने का समय दिया, उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया:-

"महोदय , मेरे संसदीय दल के नेता श्री टी.आर. बालू ने मिलने का समय माँगा था और मुझे पता था कि उन्होंने एक दिन पहले के लिए समय माँगा था, लेकिन हमने यह नहीं कहा कि हम उनसे कल ही मिलना चाहते हैं।हमने कहा कि हम उन्हें समस्याओं के बारे में बताने के लिए आएंगे और उनसे मिलना चाहेंगे। उन्होंने मिलने का समय दिया गया था । अगर किसी और दिन दिया होता तो उस दिन का समय वहां जाने में हमें खुशी होती क्योंकि जब हम वहां गए तो हम अपना पक्ष रखना चाहते थे।"

13. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें उसी दिन मिलने का समय मिला है, उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया :-

"नहीं, उन्होंने हमें फोन किया और उन्होंने कहा कि हम लगभग 5 बजे आ सकते हैं और हम वहां गए। उन्होंने खुद एक प्रेस बयान दिया था जो टेलीविजन पर उपलब्ध है जहां आप देख सकते हैं कि वह इस बात से सहमत हैं कि टेलीविजन चल रहा था और वित्त सचिव अपने कमरे में बैठे थे और नोट्स ले रहे थे। हमारा तर्क था कि जब हम चारों सांसद वहां जा रहे हैं, तो वित्त सचिव को वहां बैठने की क्या जरूरत थी? वह अपने कमरे में जा सकते थे और उनकी बैठक हो सकती थी।वहाँ पर उनकी उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं थी और विशेष रूप से

तब जब हमारी बातचीत होती है और एक दूसरे को नहीं पाते हैं। मुझे लगा कि यह निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति नितांत अपमानजनक व्यवहार है।"

14. यह पूछे जाने पर कि क्या वह दूसरों के साथ एक लाख से अधिक याचिकाएँ अपने साथ ले गए थे और क्या वह उन याचिकाओं के उत्तर और निष्पादन का समय जानना चाहते थे, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी ने इस प्रकार उत्तर दिया: -

"ये याचिकाएँ भोजन या विभिन्न स्थानों से यात्रा के संदर्भ में लोगों की आवश्यकता के संबंध में थीं।इस प्रकार की सहायता मांगी गई थी।शायद एक लाख याचिकाएं थीं, लेकिन हमने इस पर जोर नहीं दिया कि वे कितनी जल्दी कार्रवाई कर सकते हैं। हमने कहा कि लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए हम आपसे इन चीजों पर कार्रवाई करने की अपेक्षा करते हैं क्योंकि हम इसमें सप्ताह या महीने नहीं बिता सकते क्योंकि लोग भूख से मर रहे हैं। इसलिए, हमने उनसे अनुरोध किया कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि इन लोगों का ध्यान रखा जाए।हमने यह नहीं कहा कि उन्हें यह तुरंत या अगले दिन करना है क्योंकि मूल रूप से यह भोजन के बारे में था। मुझे यकीन है कि पूरा देश इस समस्या से जूझ रहा था और हर कोई यह जानता है। हर राज्य इस समस्या से गुजरा है।"

15. यह पूछे जाने पर कि मुख्य सचिव के कथित असम्मानजनक व्यवहार से उनके विशेषाधिकार का हनन कैसे हुआ और यह भी कि यह कैसे एक सदस्य के रूप में उनके संसदीय कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा है, उन्होंने उत्तर दिया कि -

"व्यक्तिगत रूप से, यदि आप मुझसे पूछें कि यदि कमरे में जब हम बातचीत कर रहे हैं, अगर कोई सचिव टेलीविजन का वॉल्यूम बढ़ाता है, तो हम बातचीत नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि आप इसे विशेषाधिकार के उल्लंघन के रूप में देखेंगे या नहीं। विशेष रूप से जब मैं उनसे पूछ रहा हूं और यदि आप मुख्य सचिव द्वारा दिए गए प्रेस वक्तव्य को देखें, तो उन्होंने एक व्याख्यात्मक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि टेलीविजन चालू था और मैंने वॉल्यूम कम करने के लिए कहा था।लेकिन उन्होंने कहा कि वित्तीय पैकेज की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण थी

और इसलिए इसे वित्त सचिव को सुनना पड़ा। मुझे यकीन है कि वित्त सचिव के पास सचिवालय में एक कमरा तो होगा । इसलिए , जब हम चर्चा कर रहे थे तो उनके वहां होने की क्या आवश्यकता थी? हम बात कर रहे हैं उन लाखों लोगों की, जो भूख से तड़प रहे हैं और परेशान हो रहे हैं।हमारे पास दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से बहुत सारे फोन आ रहे थे जहां माता-पिता अपने छात्रों/बच्चों को सुरक्षित घर वापस लाने की बात कर रहे थे।दरअसल, हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में भी थे। उन्होंने हमारे छात्रों को वापस लाने का शानदार काम किया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से दुनिया के विभिन्न हिस्सों से 400 से अधिक छात्रों को चेन्नई लाने की व्यवस्था की। मेरा निवेदन यह है कि वित्त सचिव वहां बैठे थे, और टेलीविजन का वॉल्यूम इतना तेज था कि मैं सुन नहीं सकता था कि वहां क्या हो रहा है।"

16. यह पूछे जाने पर कि क्या उनके कहने का तात्पर्य यह है कि तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव ने उस व्यवहार या रवैये को प्रदर्शित नहीं किया जो माननीय सांसद के साथ किया जाना चाहिए था और उन्होंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया:-

"महोदय, मैं पहली बार संसद सदस्य बना हूं। इसलिए, मुझे नहीं पता कि संसद सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।"

17. इस बात से अवगत कराए जाने पर कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पहली बार संसद सदस्य बने हैं और वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि: -

"महोदय, अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें, तो मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी इंसान पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए।उन्होंने कहा, 'आप लोगों की यही समस्या है'। उसने इतनी तेज आवाज में कहा, जब बिल्कुल भी कहा-सुनी नहीं हुई थी।हम चिल्ला नहीं रहे थे। लोगों के लिए जो भी हमारा अनुरोध था उसे हम विनम्रता से प्रस्तुत कर रहे थे।केवल एक ही सवाल पूछा गया था: 'क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे लोगों से क्या कहना चाहिए?'मैं श्री टी.आर. बालू के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जब भी हम किसी मुद्दे पर पार्टी अध्यक्ष से मिलते हैं, तो वह आम तौर पर टिप्पणी मांगते हैं, जिसे उन्हें प्रेस/मीडिया

को सौंपने की जरूरत होती है। उनके साथ रहते हुए, मैंने हमेशा देखा है कि वह हर किसी से पूछते हैं: 'तो, मैं प्रेस को क्या बताऊं'? इसलिए, जिस क्षण उन्होंने पूछा: "मैं प्रेस को क्या बताऊं?", मुख्य सचिव कह सकते थे: "मुझे दो दिन का समय दें; मैं आपको जवाब दूंगा।"वैसे भी, मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने कहा: "हमारे यहाँ पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं; हम अपर्याप्त स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं।कोविड -19 के कारण, बहुत से लोग यहाँ नहीं हैं। इसलिए, मैं अभी आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा।" तो, श्री टी.आर. बालू ने उनसे पूछा: "देखो, मैंने तुमसे एक प्रश्न पूछा है।क्या मैं उन्हें बता दूं कि आप अपर्याप्त स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं और कोविड-19 के कारण आपके यहां पर्याप्त स्टाफ नहीं है? ठीक इसके बाद मुख्य सचिव चिल्लाने लगे- "आप लोगों के साथ एक दिक्कत है." . श्री टी.आर. बालू ने एक प्रश्न पूछा, और मुख्य सचिव द्वारा इसका ये उत्तर दिया गया।श्री टी.आर. बालू सिर्फ यह कहते हुए स्पष्ट करना चाहते थे: "क्या आप चाहते हैं कि इस वक्तव्य को मैं जनता और मेरी पार्टी अध्यक्ष को सूचित करूं?" लेकिन मुख्य सचिव ने शोर मचाना शुरू कर दिया. श्रीमान्, मुझे लगता है कि किसी के विरुद्ध, विशेषकर एक वरिष्ठ संसद सदस्य, जो एक पूर्व मंत्री रह चुके है, के विरुद्ध क्रोध करने की बिलकुल आवश्यकता नहीं थी।मुझे लगता है कि उनका अपमान व तिरस्कार हुआ था। ये मेरा विचार है।"

18. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कमरे में प्रवेश करने पर उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था की, उन्होंने उत्तर दिया कि -

"नहीं महोदय । मैंने आपको यह बता दिया है। यहां तक कि तस्वीरें भी हैं, जो उस समय ली गई थीं। अभी वे मेरे पास नहीं हैं।लेकिन मुझे यकीन है, इसे प्राप्त किया जा सकता है। आप देख सकते हैं एक थ्री सीटर था जहां तीन सांसदों को बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए एक-दूसरे के बगल में बैठाया गया। इतने अनुभव और रैंकिंग वाले मुख्य सचिव को हमारे लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी क्योंकि हमने स्पष्ट कर दिया था कि 'हम चार लोग वहाँ आने वाले हैं।' लेकिन बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी।वास्तव में, वहाँ बैठने के लिए मैं एक कुर्सी खींच रहा था ताकि वे अलग बैठ सकें।लेकिन मैं यह देखकर चौंक गया कि तीन संसद सदस्य एक साथ बैठे थे और मुझे दूसरी बची हुई सीट पर जाकर बैठना पड़ा।"

19. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपनी कुर्सी खुद उठानी पड़ी, तो उन्होंने हां में जवाब दिया।

20. यह पूछे जाने पर कि क्या वहां उनके बैठने की व्यवस्था नहीं थी , उन्होंने कहा कि -

"महोदय, जैसा कि मैंने आपको बताया, चार कुर्सियाँ थीं - एक थ्री-सीटर थी, और एक सिंगल-सीटर थी। इसलिए मैं मान रहा था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठेंगे। थ्री-सीटर में, मुझे लगा, दो लोग बैठने वाले हैं। फिर वहां एक सीट थी।मैंने एक कुर्सी खींची ताकि ये तीनों सांसद वहां बैठ सकें और मैं उनसे थोड़ी दूर बैठ सकूं।"

21. यह बताए जाने पर कि यदि सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार वहां बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी और वह अपनी कुर्सी स्वयं लेकर आए, तो क्या मुख्य सचिव ने हस्तक्षेप नहीं किया तथा किसी और को उनके लिए कुर्सी लाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने जवाब दिया कि: -

"नहीं, महोदय । यह किसी ने नहीं पूछा। यह न तो वित्त सचिव ने कहा और न ही मुख्य सचिव ने।मैं बस कुर्सी खींच कर टेबल के पास ले आया।जब तीनों संसद सदस्य थ्री-सीटर पर बैठे तो मैं जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया, जो खाली पड़ी थी।"

22. यह पूछे जाने पर कि क्या उनके पास समिति के समक्ष कहने के लिए कुछ और है और क्या उनके साथ कुछ अन्य व्यक्ति याचिकाओं के साथ आए थे, तो उन्होंने कहा कि -

"महोदय, जब हम वहां गए, जैसा कि मैंने कहा, लगभग एक लाख याचिकाएं थीं।जिसे कुछ लोगों द्वारा लाया गया था; जाहिर है, हम सभी एक लाख याचिकाओं को अकेले नहीं ले जा सके।उसी इमारत में हमारा पार्टी कार्यालय है।हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, जो वहां काम कर रहे थे, याचिकाएं लाए। उन्होंने याचिका प्रस्तुत की और फिर चले गए। जब वे वहां थे तो कुछ लोग फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर मुख्य सचिव ने आपत्ति जताई। इसलिए, हमने कहा, 'कोई फोटो नहीं खींचनी चाहिए ', और हमने उन्हें जाने के लिए कहा।"

23. यह पूछे जाने पर कि क्या मिलने का समय मिले इससे पहले उन्होंने मुख्य सचिव को सूचित किया था कि वे याचिकाओं को लाने के लिए लोगों को ला रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया कि-

"जब हमने मिलने का समय तय किया , तो मुझे नहीं पता कि श्री टी.आर. बालू ने उन्हें यह बताया था कि लोग याचिका देने आ रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है।"

24. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने उनसे कहा था कि जब वह उनसे मिलने गए थे तो वह याचिका देना चाहते थे, उसने सकारात्मक जवाब दिया कि जब ये लोग आए, तो हमने कहा कि ये लोग याचिकाएं देने आए हैं और वे चले गए।

श्री टी आर बालू, संसद सदस्य का साक्ष्य

25. 12 फरवरी, 2021 को समिति के समक्ष अपने साक्ष्य के दौरान, श्री टी. आर. बालू, संसद सदस्य ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार बताया:-

"मुझे बहुत खेद है कि जब मैं 13.5.2020 को संसद सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहा था, तब मैंने एक शर्मनाक घटना का सामना किया। मैं, श्री दयानिधि मारन, संसद सदस्य, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्य, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन,संसद सदस्य को तमिलनाडु के मुख्य सचिव से अनुमति मिली और और हमें 13.5.2020 को शाम 5 बजे तक उनसे मिलने के लिए कहा गया। हम पांच मिनट पहले गए थे। दरअसल, जब हम मौके पर पहुंचे तो एक मिनट ही बचा था।हम अंदर गए और बड़ी लापरवाही से मुख्य सचिव ने हमें देखा और वह कुर्सी पर बैठे हुए थे, हम अपने आप वहां गए, हम सोफे पर बैठ गए और दो-तीन मिनट बाद धीरे-धीरे बाहर आ गए। उन्होंने कोई शिष्टाचार भी नहीं दिखाया ।उन्होंने न तो हमसे हाथ मिलाया और न ही कोई अभिवादन किया। हम उन्हें जानते हैं। वह कई सालों से हमारे शासन में काम कर रहे थे। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं लेकिन उन्होंने इतना शिष्टाचार भी नहीं दिखाया कि मैं उनका पुराना मित्र था।

हम यहां मेरे नेता श्री एम.के. स्टालिन के सुझाव पर आए हैं क्योंकि कोरोना के दौरान राहत के लिए उन्होंने 15 लाख से ज्यादा याचिकाएं जमा की हैं. 15 लाख में से, 14 लाख याचिकाओं के लिए स्वयं हम सभी पार्टी के लोगों, 1.5 या दो लाख से अधिक पदाधिकारियों ने उसी समय पूरे तमिलनाडु में कार्यालय खोले। कोरोना काल में कई केंद्र खोले गए। हमने उनकी मदद की। आपकी जानकारी के लिए, मैंने स्वयं 35 लाख रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की है। एक विधायक के रूप में मेरे बेटे ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40 लाख रुपये खर्च किए हैं। यहां तक कि सांसद, विधायक, डिवीजनल सचिव, निर्वाचन क्षेत्र सचिव, जिला सचिव और सभी ने अपने-अपने कोष से करोड़ों रुपये खर्च किए और भी बहुत सा खर्च किया। जरूरतमंद लोगों को करोड़ों रुपये से अधिक का किराने का सामान, चावल, पका हुआ भोजन, सब्जियां, तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की गई। ऐसा करीब चार-पांच महीने से हो रहा है। दरअसल, जब हमने वहां जाकर यह बात बताई कि पार्टी ने ही चौदह लाख याचिकाओं का निपटारा कर दिया है, हम उनके पास सिर्फ एक लाख याचिकाएं लेकर आए हैं। ये एक लाख याचिकाएं कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से बांटी जा सकती थीं, वे यह तय कर लेते कि कैसे समस्या का समाधान किया जाए तो समाधान बहुत जल्दी हो जाता। ये सरकार को करना है। हम अपनी ओर से जो कुछ भी कर सकते थे, हमने किया। हमने उनसे कहा कि यह देखना उनका कर्तव्य है कि चीजों को कलेक्ट्रेट या कहीं और स्थानांतरित किया जाए ताकि निर्णय लिया जा सके। जनता के लिए ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन उस दौरान वह सिर्फ टीवी देख रहे थे। उन्होंने हमारी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। वह देख हमें रहे थे लेकिन उनका ध्यान टीवी की तरफ था । टीवी की आवाज़ बहुत तेज थी। श्री कलानिधि, जो एक सांसद हैं, वहां मौजूद थे, और उन्होंने मुख्य सचिव से अनुरोध किया, "महोदय, कृपया किसी से आवाज़ कम करने के लिए कहें"। यह सुनकर उनका असिस्टेंट वॉल्यूम कम करने आया। मुख्य सचिव ने उन्हें वॉल्यूम कम न करने का निर्देश दिया जो बेहद आश्चर्यजनक है। मैंने कलानिधि जी से बैठने का अनुरोध किया। मैंने मुख्य सचिव को समझाया और कहा, "महोदय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी याचिकाएं आपकी मेज पर रखी हैं। कृपया उन्हें देखें। उन पर समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि यह एक सार्वजनिक मुद्दा है और इसके अलावा, महामारी थी, लोग बहुत परेशान थे। मैंने उनसे इस पर एक नज़र डालने के लिए कहा और उनसे शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध किया। मैंने बस यही कहा। मैंने अपने अनुरोध पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में भी पूछा ताकि मैं वापस जाकर अपने नेता को बता सकूं क्योंकि उन्होंने ही हमें वहां भेजा था। अचानक, उन्होंने

हम पर चिल्लाते हुए कहा कि यह 'आप लोगों' की समस्या है। आप चाहें तो बाहर जा सकते हैं, प्रेस वालों से मिल सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं और जा सकते हैं। उन्होंने यही कहा। महोदय, इसका क्या मतलब है? 'आप लोग' केवल टी आर बालू, कलानिधि या एक्सवाईजेड जैसे व्यक्ति को संदर्भित नहीं करते हैं, 'आप लोग' का अर्थ है संसद सदस्य और इसका मतलब है कि उन्होंने न केवल संसद सदस्य की छवि और प्रतिष्ठा को कलंकित किया, बल्कि संसद के गौरव को भी धूमिल किया। मैं इसी बात से चिंतित हूं। महोदय, मैं उनके कुछ परिपत्रों को उद्धृत करूंगा जो भारत सरकार ने जारी किए हैं। मैं इसे एक-एक करके उद्धृत करूंगा। मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह कार्यालय ज्ञापन दिनांक 23.05.2000, कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/2/2000 स्था (ए) है । मैं उद्धृत करता हूं: " संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य क्या कह रहे हैं, उन्हें उस पर ध्यान से विचार करना चाहिए और धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए और उन्हें हमेशा अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कार्य करना चाहिए"। यह मामला मैं आपके सामने ला रहा हूं क्योंकि इसमें बात पर ध्यान देने का उल्लेख है। मैं आगे उद्धृत करता हूं: "अधिकारी को सटीक व सही और विनम्र होना चाहिए और सदस्य का स्वागत करने और उनके जाने पर खड़ा होना चाहिए"। अगला समयबद्ध कार्रवाई के बारे में है। ' किसी अधिकारी को संसद सदस्य का स्वागत कैसे करना है' इस बारे में 8 नवंबर, 1974 को मंत्रीमंडल सचिवालय द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है, "जब संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य उनसे मिलने आता है, तो सदस्य का स्वागत करने और उसे विदा करने के लिए अधिकारी को अपनी सीट से उठना चाहिए। इन छोटी -छोटी बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है और इसलिए एक अधिकारी को संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के साथ अपने व्यवहार में बहुत सटीक और विनम्र होना चाहिए। अधिकारियों को इस तरह से सांसदों का स्वागत करना चाहिए। हालाँकि, वह पूरी बात को लेकर बहुत ही लापरवाह थे। उसने हमारा ठीक से स्वागत नहीं किया। तीसरी बात समय सीमा की है। सदस्यों की शिकायतों का कितने दिनों में जवाब दिया जाना चाहिए, इस बारे में अनुदेश हैं। डी.ओ.सं.30011/3/97/ओएम दिनांक 31 मार्च 1997 कहता है, "जहां तक संभव हो सदस्यों को अंतिम उत्तर भेजने के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और इसे नियमित निगरानी द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एजेंसियों और राज्य सरकारों द्वारा सभी रिपोर्टों का जवाब दिया जाना है। " आपका परिपत्र और अन्य दस्तावेज यही कहते हैं। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं जो कहना चाहता हूं, वह यह है कि उन्होंने न केवल हमारी छवि को खराब किया है बल्कि संसद की महिमा को भी

कलंकित किया है। मैं यही कहना चाहता हूं। इसलिए अधिकारी विशेष के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वह पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्हें तमिलनाडु सरकार के सलाहकार के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अन्य अधिकारियों के लिए यह एक सबक होना चाहिए, चाहे आप उसे सजा दें या नहीं। एक लिखित चेतावनी दी जानी चाहिए ताकि उस कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी भविष्य में संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के आने पर उचित प्रक्रियाओं का पालन कर सकें। मैं यही कहना चाहता हूं।"

26. यह पूछे जाने पर कि उचित व्यवहार से उनका क्या तात्पर्य है और अधिकारी अपेक्षित व्यवहार करने से कैसे चूक गए, माननीय सदस्य ने इस प्रकार उत्तर दिया:

"उन्होंने अपने विचारों के बारे में कुछ नहीं कहा। यह उचित नहीं है। जब हम इधर-उधर घूम रहे थे तो वह वहीं बैठे थे। वे कभी खड़े नहीं हुए और वनक्कम, आदि कहकर हमारा स्वागत नहीं किया। तमिलनाडु में लोगों को वनक्कम, श्रीमान आप कैसे हैं, आदि का अभिवादन देना आम बात है।अभिवादन का आदान-प्रदान नहीं हुआ। उन्होंने विनम्रतापूर्वक हमारा अभिवादन भी नहीं किया । हम चारों बस उनके ऑफिस में दाखिल हुए और सोफे पर बैठ गए। वह करीब दो मिनट या डेढ़ मिनट तक टीवी देखते रहे और फिर आकर बैठ गए । कलानिधि ने उनसे वॉल्यूम कम करने का अनुरोध किया। एक सहायक आवाज कम करने गया। लेकिन अधिकारी ने उसे वॉल्यूम कम न करने के लिए कहा। उनका ध्यान टीवी पर ही था, जबकि वह देख हमें रहे थे। वह मुस्कुराए भी नहीं।"

27. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने उक्त अधिकारी से मिलने जाने से पहले मिलने का समय लिया था, माननीय सदस्य ने कहा कि:

"हां। उन्होंने प्रेस को पहले ही बता दिया था। हमें उनसे 5 बजे मिलने की अनुमति मिली और हम करीब 4:54 बजे वहां गए। लेकिन हम 5 बजे से पहले पहुंच गए।"

28. यह पूछे जाने पर कि 'आप सभी लोग ऐसे हैं' कहने का क्या मतलब है और उन्होंने वास्तव में क्या कहा था, सदस्य ने निम्नवत उत्तर दिया:

"उन्होंने सभी सांसदों को 'आप लोग' कहकर संबोधित किया। मुझे लगता है कि यह न केवल उन सांसदों का अपमान है जो वहां लोक कल्याण के लिए बैठे थे, बल्कि उन्होंने संसद की संस्था के गौरव को कलंकित किया है।"

29. समिति द्वारा जब यह अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत 'तथ्यात्मक नोट' के अनुसार एक लाख से अधिक याचिकाओं को साथ लाया गया था और याचिकाओं का जवाब मांगा गया था, और पूछा गया कि वास्तव में स्थिति क्या है, तो उन्होंने निम्नवत उत्तर दिया :

"हम लोगों के एक लाख व्यक्तिगत आवेदन लेकर गए थे, जो उन्होंने मेरे नेता श्री एम.के. स्टालिन को ये भेजे थे । जहां भी लोग राहत मांगते हैं, हमारी पार्टी के लोग जो कर सकते हैं, करते हैं वह इन आवेदनों को हमारी पार्टी के जिला कार्यालय के लोगों के पास भेजते हैं। वे आवेदन जिन पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को कार्रवाई करनी होती है, उसे हमें भेजते हैं। ऐसी याचिकाओं को संकलित करके मुख्य सचिव को दिया गया है। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, "हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है।" दरअसल, वह हम पर चिल्लाए। मैं संसद में 25 साल से अधिक समय से हूं और मैं तीन बार केंद्र महोदयकार में मंत्री रहा हूं। मेरे अपनों के सामने मेरी छवि धूमिल हुई है। अन्य तीनों पहली बार सांसद बने हैं। उनकी उपस्थिति में, वह मुझ पर चिल्लाए। क्या आपके कहने का मतलब यह है कि मुख्य सचिव जैसे वरिष्ठ अधिकारी का चिल्लाना सही है? मुझे परवाह नहीं है कि वो मुझ पर चिल्लाए या नहीं। लेकिन संसदीय प्रणाली की गौरवपूर्ण छवि अब सवालों के घेरे में है। जो भी कार्रवाई आपको उचित लगे कृपया करें। मुख्य सचिव अब मुख्य सचिव नहीं रहे; वह सरकार के सलाहकार हैं। मुख्य सचिव का कार्यकाल दो बार बढ़ाया गया है; अब वह एक सलाहकार है। सिर्फ सेवा विस्तार के लिए उन्होंने हमें डांटा क्योंकि यह अखबार में आना था । वह स्वेच्छा से कह रहे थे : 'नहीं। तुम बाहर जाओ। आप प्रेस को बताएं'। उन्होंने कहा कि आप बाहर जाएं और प्रेस को जो चाहें बताएं। चारों सांसदों के सामने वे साहस के साथ बुलंद आवाज में चिल्लाए। यह बहुत भड़काने वाला है। बस हम बाहर आ गए। वो हमें बाहर तक छोड़ने भी नहीं आए । वह वापस जाकर बैठ गए और फिर से टीवी देखने लगे । "

30. यह पूछे जाने पर कि क्या उनके आगमन के बारे में सूचित करने के बावजूद बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, सदस्य ने निम्नानुसार कहा:
"बैठने की व्यवस्था थी महोदय। सोफे थे। वहां सोफा लगा हुआ था। यह सिर्फ आगंतुकों के लिए है। कोई नाम बोर्ड या कुछ और नहीं है। बस, हम जा कर वहीं बैठ गए ।"

31. यह पूछे जाने पर कि जब वे उनसे बात कर रहे थे,वह टीवी पर तेज आवाज़ में क्या देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि:
"महोदय, ऐसा लगता है,वह बजट के दिन बजट देख रहे थे। बजट चर्चा या कुछ और था। ऐसा लगता है कि यह बजट नहीं बल्कि बजट चर्चा थी।"

32. जब पूछा गया कि उनके साथ कितने लोग आए थे, तो उन्होंने उत्तर दिया कि:

"20 लोग नहीं थे। वह बिलकुल झूठ बोल रहा है। नौ बंडल थे। एक-एक कर नौ लोग आए। जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है तो बाहर का चपरासी सभी नौ लोगों को या दस लोगों को, चाहे वह कोई भी हो, अनुमति कैसे दे सकता है? जो व्यक्ति बाहर खड़ा था, उसे स्पष्ट निर्देश मिला था। यहां तक कि एक-एक करके हमारी भी एंट्री हुई। ठीक वैसे ही जो लोग बंडल ला रहे थे, उन्हें एक-एक करके जाने दिया गया। वे एक-एक करके अंदर आए; उन्होंने उसे मेज पर रखा और बाहर चले गए। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आए।"

श्री के. षणमुगम, पूर्व मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार का लिखित उत्तर:

33. श्री के. षणमुगम, पूर्व मुख्य सचिव ने दिनांक 15 सितंबर, 2020 के अपने उत्तर में निम्नानुसार बताया :
"मुझे श्री लोक रंजन, अपर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग,भारत सरकार के दिनांक 9 सितंबर, 2021 के मुख्य सचिव को संबोधित डीओ पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुझे 23.09.2021 को विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। . मैंने पिछले 35 वर्षों से एक बेदाग रिकॉर्ड के साथ एक प्रतिबद्ध आईएएस अधिकारी के रूप में राज्य की सेवा की थी और 31.1.2021 को मुख्य सचिव के रूप में सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था। अपने

पूरे करियर में, मैंने कभी भी निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित किसी का भी अपमान नहीं किया है। यह जानना दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय संसद सदस्यों ने मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने की मांग की है। वास्तव में, मेरे मन में सभी प्रतिनिधियों का बहुत मान-सम्मान है विशेषकर माननीय संसद सदस्य श्री टी.आर. बालू, जिनके साथ मेरी पहले भी कई बार बातचीत हुई थी और कभी भी हमें ऐसी गलतफहमी नहीं हुई थी। इसलिए मैं 13.5.2020 को हुई घटनाओं का क्रम बताना चाहूंगा, जो मेरी तरफ से तथ्यात्मक लेखा-जोखा देगा। 12.5.2020 को, मेरे निजी सचिव को श्री एम. अथिशन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, तमिलनाडु के विशेष पीए से एक मौखिक अनुरोध प्राप्त हुआ जिसमें श्री टी.आर. बालू, सांसद,की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे मिलने का समय मांगा । जैसा कि 13.5.2020 को कलेक्टरों का सम्मेलन निर्धारित था, मैंने अपने निजी सचिव को बैठक के उद्देश्य के विवरण के साथ एक पत्र प्राप्त करने के लिए कहा, ताकि मिलने के लिए उपयुक्त समय तय किया जा सके।

13.5.2020 की सुबह, श्री *अतिशेषन,* विशेष निजी सचिव, माननीय नेता *प्रतिपक्ष,* तमिलनाडु को एक पत्र सौंपा जिसमें यह संकेत दिया गया था कि श्री टी.आर. बालू, संसद सदस्य, डीएमके द्वारा आयोजित एक योजना अर्थात "आइए हम एक जुट हो" के तहत जनता से प्राप्त याचिकाओं को सौंपने का प्रस्ताव कर रहे थे। महामारी नियंत्रण और उपशमन गतिविधियों के भारी काम के दबाव के बावजूद, मैंने तुरंत *13.05.2020* को शाम *5.00* बजे संसद सदस्यों के *प्रतिनिधिमंडल* से मिलने का समय निर्धारित किया। इस अनुरोध पर यह त्वरित प्रतिक्रिया ही इस बात का प्रमाण है कि मेरा कभी किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रति अनादर दिखाने का कोई इरादा नहीं था। *13.5.2020* की शाम को, भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के उपायों पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद, माननी*या* केंद्रीय वित्त मंत्री वित्तीय पैकेज के ब्यौरे की घोषणा *कर रही थीं*। माननी*या* केंद्रीय वित्त मंत्री एक राष्ट्रव्यापी प्रसारण में अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने के लिए राहत उपायों के पैकेज का ब्यौरा *दे रही थीं* और मुख्य सचिव *के रूप में मैं स्वयं* और अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, तमिलनाडु घोषणाओं की मुख्य विशेषताओं *को* नोट कर रहे थे। । उस समय, संसद सदस्यों की टीम पहुंची थी। तुरंत, मैंने अपर मुख्य सचिव, वित्त को *नोटिंग* जारी रखने के लिए कहा और संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए सोफे पर चला गया। उनके आगमन पर, मैंने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उन्हें सोफे पर बैठने की व्यवस्था की, जैसाकि यह सोफे

पर उच्च गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करने और *बैठाने की* सामान्य *परम्परा होती है*। जब माननीय सदस्य बैठ रहे थे, *15* से *20* लोग भी मेरे कक्ष में प्रवेश *कर गए* और कई सारे याचिकाएं *दीं*। कोविड-*19* महामारी के कारण, हालांकि बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध था, मैंने विनम्रता से उनसे अनुरोध किया कि वे याचिकाएं कमरे में रखें और फोटो और वीडियो लेने से बचें। तथापि, मेरे अनुरोध के बावजूद, माननीय सदस्यों के साथ मिलकर आए व्यक्तियों के एक समूह ने फ़ोटो और वीडियो लिए। माननीय संसद सदस्य, श्री टी.आर. बालू ने मुझे *बताया* कि उनकी पार्टी के कार्यक्रम "आइए, हम एक जुट हो" के तहत उनकी पार्टी के नेता को एक लाख से अधिक याचिकाएँ प्राप्त हुई हैं और इन याचिकाओं को आवश्यक कार्रवाई के लिए मेरे सामने प्रस्तुत किया *गया है*। उन्होंने समय सीमा पर भी जोर दिया कि कब तक इन याचिकाओं का निपटारा किया जाएगा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि एक लाख याचिकाओं के निराकरण के लिए समय सीमा देना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि इन शिकायत याचिकाओं को छांटना होगा और जिला-वार/विभाग-वार जिला कलेक्टरों को भेजना होगा। जैसा कि महामारी अपने चरम पर है, केवल कुछ अधिकारी ही काम कर रहे हैं, मैंने उन्हें इन सभी याचिकाओं पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सही मायने में मेरा मानना था कि ये याचिकाएं क्षेत्र से, विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर शिकायतों के निवारण की मांग करते हुए, एकत्र की गई हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये सभी याचिकाएं कंप्यूटर के माध्यम से तैयार की गई हैं और *उनमें* केवल चावल और दाल जैसे सूखे राशन की मांग *की गई है*। हालांकि, माननीय संसद सदस्य सभी याचिकाओं के समाधान के लिए एक निश्चित समय सीमा और तारीख पर जोर देते रहे। मैंने फिर से समझाया कि लॉकडाउन के कारण, महोदयकारी तंत्र न्यूनतम कर्मचारियों के साथ ओवरटाइम काम कर रहा है, और संकेत दिया कि एक सटीक तारीख नहीं दिया जा सकता है, साथ ही साथ माननीय संसद सदस्यों को आश्वासन दिया गया है कि उनके द्वारा दी गई याचिकाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। । जब माननीय संसद सदस्य श्री टी.आर. बालू, श्री दयानिधि मारन और अन्य माननीय संसद सदस्यों ने बार-बार एक समय-सीमा बताने की मांग की, मैंने विनम्रता से उन्हें संकेत दिया है कि, भले ही सदस्य *भी* मेरी जगह हों, वे *भी* सही समय सीमा नहीं दे पाएंगे। माननीय संसद सदस्यों ने कहा कि एक जिम्मेदार जन प्रतिनिधियों के रूप में, उन्हें एक समय-सीमा की आवश्यकता होगी। *इसपर*, मैंने यह कहते हुए जवाब दिया है कि मैं भी एक जिम्मेदार महोदयकारी कर्मचारी हूं और पूरी महोदयकारी मशीनरी महामारी को नियंत्रित करने के लिए पूरी निष्ठा और

प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। श्री टी.आर.बालू,संसद सदस्य, ने मुझसे पूछा कि क्या वह अपने नेता को यह बता सकते हैं कि मुख्य सचिव कर्मचारियों की कमी के कारण एक लाख याचिकाओं के निपटान की तारीख देने से इनकार कर दिया। लेकिन, मैंने फिर से अपना आश्वासन दोहराया कि एक लाख याचिकाओं पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। यह चर्चा आधे घंटे से भी अधिक समय से सुचारू रूप से चल रही थी। इसलिए यह बहुत स्पष्ट है कि माननीय संसद सदस्यों का अनादर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन महामारी के समय में कठिनाइयों को समझाया क्योंकि हमारा ध्यान पूरी तरह से महामारी के प्रबंधन पर था, जबकि माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई याचिकाओं पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था। माननीय सदस्यों को जिन्होंने जन सेवाओं में लंबे वर्षों का समय दिया है यह समझना चाहिए था कि महोदयकार एक महामारी के रूप में एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है और संकट को दूर करने के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही है। इसके बजाय, प्रतिनिधिमंडल ने मुझे बताया कि वे अपने नेता को सूचित करेंगे कि कोई समय सीमा नहीं दी जाएगी, जिसके लिए मैंने कहा कि वे जैसा चाहें जवाब दे सकते हैं। हालांकि, इसके बाद प्रतिनिधिमंडल मेरे कमरे से चले गए और प्रेस में अनादर के आरोप लगाए। इसलिए, मुझे 14.5.2020 को प्रेस में खंडन जारी करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। यह आरोप कि जब माननीय सदस्य मुझसे बात कर रहे थे तो मैं तब टीवी देख रहा था, पूरी तरह से गलत है क्योंकि प्रमुख तमिल डेलिज में प्रकाशित तस्वीरों पर महोदयसरी निगाह भी अन्यथा इंगित करती है। माननीय सदस्यों को सोफे पर आराम से बैठाया गया है और कमरे के लेआउट के अनुसार मेरे लिए सोफे पर बैठकर टीवी देखना संभव नहीं है। अपर मुख्य सचिव, वित्त, जो मेरे साथ कमरे में थे, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की नोटिंग करना जारी रखा और टीवी की आवाज कम थी और मुख्य सचिव और माननीय संसद सदस्यों के बीच बातचीत में बाधा नहीं हो रही थी। । दूसरी तरफ, आधे घंटे से अधिक समय तक चर्चा चलती रही। माननीय संसद सदस्यों ने मुख्य सचिव के उस कार्य की सराहना करने के बजाय जिसके तहत उन्हें उनसे अनुरोध मिलने के तुरंत बाद मिलने का समय दिया गया, उनके द्वारा उठाए गए सार्वजनिक मुद्दों को हल करने के लिए उनके साथ समय बिताया, मीडिया में बयान देने का विकल्प चुना। । इसके अलावा, एक लाख याचिकाओं को प्राप्त करने के तुरंत बाद, मैंने तुरंत महोदयकार के संबद्ध विशेष शिकायत निवारण विंग अर्थात मुख्यमंत्री के विशेष प्रकोष्ठ को याचिकाओं के शीघ्र समाधान और निपटान के लिए अधिकारी-वार, विभाग-वार विधिवत् स्कैन

कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किए जाने का निदेश दिया । याचिकाओं के बंडलों को खोलने पर, यह देखा गया कि सभी याचिकाएं कंप्यूटर जनित थीं और *उनमें* केवल चावल और दाल की मांग *की गई थी*। अन्य मुद्दों से संबंधित एक भी याचिका नहीं है। वास्तव में, तमिलनाडु सरकार ने महामारी के समय में सभी कार्ड धारकों को मुफ्त राशन प्रदान किया है। मैंने माननीय सदस्यों से मिलने का समय तब-तब दिया, जब-जब उन्होंने *इसकी* मांग की, असाधारण स्थिति के बावजूद, उन्हें सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें उचित रूप से बैठाया, उनकी बातों को ध्यान से सुना और एक लाख याचिकाओं पर कार्रवाई करने का वादा किया और शिकायतों का समाधान करने के लिए तत्काल कार्रवाई भी शुरू की । *14.05.2020* की मेरी प्रेस विज्ञप्ति में, मैंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने कभी भी किसी का अपमान या अनादर करने का कोई कार्य नहीं किया है।"

<u>श्री के. षणमुगम, पूर्व मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार का मौखिक साक्ष्य:</u>

34. समिति के समक्ष ***9*** दिसम्बर, ***2021*** को अपने बयान के दौरान पूर्व मुख्य सचिव ने निम्नानुसार कहा:-

"मैं आप सभी के सामने यह बताना चाहूंगा कि ***12/05/2020*** को मैं मुख्य सचिव था और महामारी अपने चरम पर थी। उस समय, मेरे निजी सचिव के लिए उस समय के नेता ***प्रतिपक्ष*** के निजी सचिव का संदेश था और ***उसी समय*** वर्तमान मुख्यमंत्री ***के यहां से भी यह संदेश था कि वे*** मुझसे मिलने के लिए एक टीम भेजना चाहते हैं। इसलिए, मैंने अपने निजी सचिव से कहा कि कृपया बैठक का उद्देश्य लिखित रूप ***में*** लें ताकि मैं इसके बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करा सकूं। तद्नुसार, ***12/05/2020*** को उन्होंने लिखित में दिया कि माननीय संसद सदस्यों की टीम महामारी के दौरान जनता से उनके नेता द्वारा प्राप्त याचिकाओं को सौंपने के लिए मुझसे मिलना चाहती है। अगले दिन सुबह कलेक्टरों का सम्मेलन था, जिसमें मैंने भाग लिया और उसके बाद मुझे माननीय मुख्यमंत्री से मंजूरी मिल गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से उचित अनुमोदन मिलने के बाद मैंने उसी दिन बैठक के लिए ***5*** बजे का समय दिया। उसी दिन शाम को माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा कोविड-19 प्रभाव के लिए पुनर्सुधार पैकेज संबंधी एक घोषणा की गई थी। । इसलिए, मैं और हमारे राज्य के वित्त सचिव समाचार सुन रहे थे और

नोट कर रहे थे। इसी बीच करीब ***5*** बजे मुझे संदेश मिला कि टीम आ गई है। इसलिए, मैं उन्हें लेने के लिए अपने कमरे के सेंटर में गया, और सामान्य तरीके से वीआईपी के आने पर उन्हें सोफे पर बिठाया। वे सभी मुझसे परिचित हैं जैसाकि हम बिना किसी हिचकिचाहट के चर्चा कर रहे हैं। संक्षिप्त परिचय के बाद, माननीय संसद सदस्य, श्री टी. आर. बालू ने मुझे बताया कि वे विपक्ष के नेता द्वारा प्राप्त एक लाख याचिकाएं लाए हैं। मैं आम तौर पर महामारी के कारण किसी को अपने कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहा था, लेकिन क्योंकि वे सभी जन प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे मिला। इस बीच, कुछ लोग याचिकाओं के बंडल अंदर ले आए और वहां काफी भीड़ हो गई थी। इसलिए, मैंने उनसे कोई भी फोटोग्राफ आदि न लेने और बंडलों को कमरे में ऐसे ही छोड़ देने का अनुरोध किया । तत्पश्चात, उन्होंने मुझे बताया कि एक लाख याचिकाएं प्राप्त हुई हैं और वह उन्हें महोदयकार को सौंप रहे हैं, और वह इन याचिकाओं पर समाधान चाहते हैं। मैंने कहा, महोदय, यह एक लाख याचिकाएं और अनुरोध हैं, विभिन्न विभागों को शामिल किया जाना चाहिए। मुझे इसे सुलझाना होगा और उन्हें अधिकारी-वार अलग करना है और मुझे इसे संबंधित अधिकारियों को भेजना होगा और उनका उत्तर प्राप्त करना है और उसके बाद ही मैं इन याचिकाओं के संबंध में अंतिम निर्णय लेने और आपको परिणाम देने में सक्षम होऊंगा। यह विदित है कि यह महामारी का दौर था जब हम अपर्याप्त- कर्मचारी के साथ काम कर रहे थे। उस समय, मैं और कुछ सचिव ही काम कर रहे थे और सपोर्टिंग स्टाफ भी बहुत कम ***थे***। मैंने कहा, मेरे लिए तारीख संबंधी अंतिम प्रतिबद्धता देना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि मैं इन सभी याचिकाओं का जल्द से जल्द समाधान करूंगा और कार्रवाई करूंगा। जब उन्होंने पूछा कि मैं अपने नेता को क्या बताऊं। मैंने कहा, आप कृपया उन्हें ***यह*** बताएं, महोदय, मुख्य सचिव ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और इसका समाधान किया जाएगा। वे वही बात दोहराते रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक सप्ताह या 15 दिनों के भीतर किया ***जाना है*** । मैंने कहा, मैं इस तरह की स्थिति में कोई निश्चित तारीख नहीं दे सकता। आप कहते हैं कि यह संख्या एक लाख से अधिक याचिकाओं की है। मैं आपको केवल आश्वासन दे सकता हूं कि मैं त्वरित कार्रवाई करूंगा। मैंने यह भी कहा कि यदि आप मेरी जगह होते तो आपके लिए भी ऐसी प्रतिबद्धता देना संभव नहीं होता। यह चर्चा आधे घंटे से अधिक समय से चल रही थी और अच्छी चल रही थी। और फिर, जब उन्होंने जोर दिया, और कहा, क्या मैं कहूं कि आप कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हैं। मैंने कहा, आप जैसा चाहें, बता सकते हैं। इसके बारे में कोई समस्या नहीं है। यही हुआ है। फिर, वे

बाहर गए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने उनका अपमान किया है। मुझे इस बारे में प्रेस स्टेटमेंट से ही पता चलता है। फिर, अगले दिन मेरे पास इस बात का खंडन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही हुआ है। मैंने ***35*** से अधिक वर्षों तक महोदयकार की सेवा बहुत ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ की है, मैंने काम किया है। मेरा एक बेदाग रिकॉर्ड है। मुझे कभी किसी से कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने लगन से देश की सेवा की है; मैंने कभी किसी का अनादर नहीं किया; मेरा ऐसा करने का कभी भी कोई इरादा नहीं रहा। मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय सभापति और समिति को दिया है। **मैं एक दूसरा अनुपूरक उत्तर लाया हूं, जिसमें मैंने उल्लेख किया है कि हालांकि मेरा कभी भी किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, अगर माननीय सदस्यों द्वारा कुछ गलत समझा गया है, तो मैं <u>बिना शर्त माफी</u> मांगने के लिए तैयार हूं। मैं जनवरी में सेवानिवृत्त हुआ हूं। *यही* मेरा निवेदन है।** "

35. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की थी, उन्होंने निम्नवत उत्तर दिया:-

"महोदय, हम सब आराम से बैठे थे। दरअसल यह चर्चा आधे घंटे से अधिक समय से चल रही थी। मैंने हॉल के बीच खड़ा होकर उनका स्वागत किया, और उन्हें सोफे तक ले गया, वे सब वहीं बैठे थे।"

36. यह पूछे जाने पर कि क्या वह स्थान, जहां उन्होंने बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस की थी, उनके कार्यालय के आसपास था, उन्होंने कहा कि यह सचिवालय के प्रवेश द्वार पर है।

37. यह पूछे जाने पर कि क्या संसद सदस्यों ने प्रतिक्रिया दी क्योंकि उन्होंने उनसे कुछ समय तक बात नहीं की और इसलिए ***वे*** प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य ***हुए***, उन्होंने कहा कि -

"महोदय, सबसे पहले, मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं अपने पूरे करियर में निष्पक्ष रहा हूं। ***दरअसल*** में, ***मेरे*** अन्य पार्टियों ***के लोगों*** के साथ भी अच्छे संबंध ***रहे हैं***। दलगत स्थिति से ऊपर उठकर सभी लोग आकर मुझसे मिलते थे। डीएमके के लोगों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध

थे। उस समय वे विपक्ष में थे। यहां तक कि कई अवसरों पर जब मैं वित्त सचिव था तो उनका प्रतिनिधिमंडल मुझसे आकर मिला था और जब मैं मुख्य सचिव था तो तब भी वे लोग मुझसे मिलते थे। मेरा पार्टी के लोगों से कभी कोई ऐसा मतभेद नहीं रहा है। दरअसल, नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव जो यहां सचिवालय में बैठे हुए हैं, उनके यहां से अनुरोध आया था। केवल उन्होंने अनुरोध किया था। यह किसी संसद सदस्य से नहीं था। दरअसल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक लाख याचिकाएं आएंगी। उन्होंने कहा था कि वे याचिकाएं लाना चाहते हैं और इन्हें महोदयकार को देना चाहते हैं। मैंने उसी दिन तत्काल मिलने का समय दे दिया। यदि मेरा किसी प्रकार का कोई मतभेद होता तो मैं कह सकता था कि महामारी की वजह से मैं व्यस्त हूं और मैं मिल नहीं सकता। मैंने ऐसा नहीं किया। दरअसल, मैंने मुख्यमंत्री से अनुमति ली और उन्हें बताया कि वे लोग आ रहे हैं। मुझे उन लोगों से मिलना है। उन्होंने कहा, "ठीक है, आप उनसे मिलिए।" बस यही बात है। यह सही नहीं है कि मैंने उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा। मैंने उनसे कहा था, "कृपया सोफे पर बैठिए। " वे सभी बैठे थे। याचिकाओं की वजह से महामारी संबंधी कुछ-कुछ बातें चल रही थीं और मैंने इसका प्रबंधन किया। मैंने कहा, आप लोग जाइए और मैं इसका प्रबंधन करूंगा। फिर सामान्य बातचीत होने लगी। वे मुझे याचिकाओं के बारे में बता रहे थे। फिर सामान्य बातें हुईं। उन्होंने इस याचिका और इसी सबके बारे में बातचीत की। दरअसल, सचमुच में मैं यही समझ पाया था कि ये अलग-अलग विभागों की अलग-अलग याचिकाएं हैं। उनके जाने के शीघ्र बाद ही मैंने उन सभी याचिकाओं को मुख्य मंत्री शिकायत प्रकोष्ठ में भेज दिया। वहां जब इन्हें खोला गया तो उनमें पाया गया कि सभी एक लाख याचिकाएं सूखे राशन के लिए थीं। मुझे इसके बारे में पता नहीं था। अन्यथा, मैं शीघ्र यही कोई हफ्ता भर में जवाब दे देता। सही मायने में, मैं यही समझ पाया था कि वे सब अलग-अलग तरह की याचिकाएं हैं। "

चार. जांच-परिणाम और निष्कर्ष

38. समिति के समक्ष मूल विषय यह तय करना है कि -

(एक) क्या तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव ने 13.05.2020 को अपराह्न 5 बजे संसद सदस्यों के साथ मुलाकात के दौरान उनसे अपमानजनक और अनादरपूर्ण व्यवहार किया था; जैसाकि सदस्यों की ओर से आरोप लगाया गया है;

(दो) क्या सदस्यों के साथ कथित अपमानजनक व अनादरपूर्ण व्यवहार; जैसाकि सदस्यों की ओर से आरोप लगाया गया है, उनके विशेषाधिकार के हनन के बराबर है;

(तीन) क्या लोक सभा सचिवालय से तमिलनाडु सरकार के संबंधित प्राधिकारियों को मामले में तथ्यात्मक टिप्पण प्रस्तुत करने हेतु भेजे गए पत्रों का उत्तर दिए जाने में हुआ विलम्ब विशेषाधिकार के हनन के बराबर है?

प्रश्न सं. 1. क्या पूर्व मुख्य सचिव ने सदस्यों के साथ अपमानजनक व अनादरपूर्ण व्यवहार किया था, जैसाकि सदस्यों की ओर से आरोप लगाया गया है?

39. अपने जवाब में पूर्व मुख्य सचिव ने बताया कि उन्होंने अपने पूरे करियर में निर्वाचित प्रतिनिधियों समेत कभी भी किसी के साथ अनादरपूर्ण व्यवहार नहीं किया और उनका सभी प्रतिनिधियों विशेषकर माननीय संसद सदस्यों के प्रति बड़ा सम्मान और आदर रहा है। यह कि उनकी श्री टी. आर. बालू से पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है और उनकी उनके साथ कभी भी किसी तरह की गलतफहमी नहीं रही है। मुलाकात के अनुरोध पर उनका तत्क्षण उत्तर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उनकी किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रति अनादर का भाव दिखाने की कभी कोई मंशा नहीं रही है। यह कि जब संसद सदस्यों की टीम पहुंची थी तो उन्होंने तत्क्षण अपर मुख्य सचिव, वित्त को बजट संबंधी जानकारी नोट करने को कहा और वे स्वयं संसद सदस्यों के शिष्टमंडल का स्वागत करने के लिए सोफे पर चले गए। शिष्टमंडल के पहुंचने पर उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें सोफे पर बैठने को कहा क्योंकि सामान्य परिपाटी यही है कि विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों को स्वागत उपरांत सोफे पर बैठाया जाए। तदुपरांत उन्होंने उन्हें उन सभी याचिकाओं पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान उन्होंने दोहराया कि उन्होंने संसद सदस्यों के अनुरोध पर उन्हें उसी दिन बैठक के लिए समय दिया और कोविड सावधानी के बावजूद उचित सम्मान के साथ उनकी अगवानी की और बैठने की सीट दी जबकि वे अन्य किसी के साथ बैठक नहीं कर रहे थे, पर चूंकि संसद सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया था उन्होंने तत्काल उनके साथ मुलाकात की। समिति के समक्ष अपनी अंतिम बात रखते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने 35 वर्ष से अधिक समय तक पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ महोदयकारी सेवा की है और उनका रिकार्ड

बेदाग रहा है। उन्हें कभी किसी के साथ कोई समस्या नहीं हुई। उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ राज्य की सेवा की है और कभी किसी का अनादर नहीं किया है और ऐसा करने की कभी उनकी मंशा भी नहीं रही। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि कभी किसी का अनादर करने की उनकी मंशा नहीं रही फिर भी यदि माननीय सदस्यों को भ्रांतिवश कुछ गलत लगा हो तो वे **बिना शर्त माफी मांगने** को तैयार हैं।

40. समिति यह नोट करती है कि पूर्व मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार ने सदस्यों के अनुरोध पर तत्काल मिलने का समय दिया था और उनके साथ समुचित व्यवहार भी किया था और बैठक के दौरान उन्हें बैठने की सीट भी दी थी और संबंधित विभागों से उत्तर प्राप्त होने के उपरांत याचिकाओं पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था। यह भी नोट किया गया कि सेवा के दौरान उनका रिकार्ड बेदाग रहा है और पूर्व में ऐसा कोई दृष्टांत भी नहीं है जब उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ अनादरपूर्ण व्यवहार किया गया हो।

41. समिति यह भी नोट करती है कि उस समय देश भर में फैली कोविड महामारी के बावजूद उन्होंने संसद सदस्यों को तत्काल मिलने का समय दे दिया जो राज्य सरकार के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा किए गए समुचित व्यवहार को दर्शाता है। अतः समिति यह पाती है कि इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि अनादरपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार किया गया है और शायद परिस्थितियों के कारण सदस्यों को गलतफहमी होने के कारण यह मामला इस स्तर पर आ पहुंचा। मुख्य सचिव भी एक लाख याचिकाओं की प्रकृति को लेकर भ्रम में थे।

प्रश्न सं. 2. क्या सदस्यों के साथ किया गया कथित अपमानजनक और अनादरपूर्ण व्यवहार, जैसाकि सदस्यों द्वारा आरोप लगाया गया है, उनके विशेषाधिकार के हनन के बराबर है?

42. समिति उपर्युक्त टिप्पणी को नोट करती है जिसमें पूर्व-मुख्य सचिव गलत प्रतीत नहीं होते हैं, और इसलिए समिति के पास उनके द्वारा लिखित उत्तर में और समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान अपने बचाव में दिए गए तर्क से असहमत होने का कोई कारण नहीं है।

43. समिति इस सुस्थापित तथ्य को भी नोट करती है कि, विशेषाधिकार की व्याख्या करते समय इस सामान्य सिद्धांत पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सदस्यों को संसद के विशेषाधिकार इसलिए दिए जाते हैं कि "वे संसद में बिना किसी बाधा के अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें।"

44. समिति यह भी पाती है कि सदस्यों को विशेषाधिकार तभी प्राप्त होते हैं जब संसद सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए उनके कार्य में बाधा डाली जाती है अथवा किसी प्रकार से उन्हें तंग किया जाता है। इस तरह, सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए अर्थात सभा अथवा इसकी समितियों की किसी बैठक में भाग लेते हुए अथवा सभा अथवा इसकी किसी समिति की बैठक में आते हुए या वहां से जाते हुए सदस्य को बाधित करना अथवा तंग करना विशेषाधिकार का हनन और सभा की अवमानना होगी। तथापि, उस मामले में, जब सदस्य किसी संसदीय कर्त्तव्य का निष्पादन न कर रहे हों, उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व-मुख्य सचिव द्वारा किए गए कथित दुर्व्यवहार से संसद सदस्य के रूप में विधायी/संसदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कोई अड़चन या बाधा उत्पन्न नहीं हुई है जिससे कि उनके संसदीय विशेषाधिकार का हनन हो सके। इसके अलावा, सदस्य पूर्व-मुख्य सचिव से मिले मिलते हुए प्रत्यक्षतः किसी संसदीय कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे थे।

45. तथापि, समिति यह नोट करके व्यथित है कि हाल ही में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा संसद सदस्यों के साथ मार-पीट करने और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और उन पर अभद्र टिप्पणी करने के कई मामले सामने आए हैं। समिति प्रशासनिक/पुलिस प्राधिकारियों द्वारा ऐसी घटनाओं में वृद्धि के कारणों को समझ पाने में असमर्थ हैं। समिति प्रशासनिक/पुलिस प्राधिकारियों द्वारा निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों का अपमान करने, उनके साथ दुर्व्यवहार करने और उन्हें अपशब्द कहने की बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं पर अत्यधिक अप्रसन्नता व्यक्त करती है।

46. समिति इस बात पर बल देती है कि लोक सेवकों द्वारा संसद सदस्यों के साथ अत्यधिक सम्मानजनक और वरीयतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। संबंधित प्राधिकारियों को इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए कि सदस्य के जनप्रतिनिधि के रूप में कार्यकरण बाधित हो। संबंधित प्राधिकारियों को बेहद सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए और सदस्य के साथ विनम्रता के साथ पेश आना चाहिए जिसका वह उचित हकदार है।

प्रश्न सं. 3. क्या लोक सभा सचिवालय से तमिलनाडु सरकार के संबंधित प्राधिकारियों को मामले में तथ्यात्मक टिप्पण प्रस्तुत करने हेतु भेजे गए पत्रों का उत्तर दिए जाने में हुआ विलम्ब विशेषाधिकार के हनन के बराबर है?

47. जहां तक इस समिति सचिवालय द्वारा भेजे गए पत्र का उत्तर देने में हुए विलंब का संबंध है, समिति इस तथ्य को गंभीरता से लेती है कि तमिलनाडु सरकार के संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित उत्तर पांच महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद ही प्राप्त हुआ है और यह पाती है कि यह कार्य, समिति, जिसे `लघु संसद` के रूप में शक्तियां प्राप्त हैं और इसके आदेशों का महत्व सभा के आदेशों जितना ही है, के नियमों/आदेशों की अवज्ञा के बराबर है।

48. अतः, समिति, लोक सभा सचिवालय के पत्र का तत्परता से उत्तर न देने के कारण तमिलनाडु सरकार के संबंधित प्राधिकारियों की अकर्मण्यता की निंदा करती है और इस संबंध में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है और इस बात पर बल देती है कि संबंधित प्राधिकारियों का इस सचिवालय द्वारा भेजे गए पत्रों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

पांच. सिफारिशें

49. समिति अपनी जांच और निष्कर्षों के आलोक में यह सिफारिश करती है कि इस मामले में समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान तमिलनाडु सरकार के पूर्व-मुख्य सचिव द्वारा मांगी गई बिना शर्त माफी के मद्देनजर इस मामले में आगे कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए इसे बंद किया माना जाए।

नई दिल्ली
दिनांकः 09.03.2022

श्री सुनील कुमार सिंह
सभापति
विशेषाधिकार समिति

कार्यवाही का सारांश

विशेषाधिकार समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरूवार, 24 सितंबर, 2020 को 1130 बजे से 1348 बजे तक समिति कमरा सं. 3, `ब्लॉक-ए`, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सुनील कुमार सिंह – सभापति

सदस्य

2. श्री राजू बिष्ट
3. श्री दिलीप घोष
4. श्री सी. पी. जोशी
5. श्री नारणभाई काछड़िया
6. श्री ओम पवन राजेनिबांलकर
7. श्री तालारी रंगैय्या
8. श्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल

सचिवालय

1. श्री पी. सी. त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री एस. आर. मिश्रा - अपर निदेशक
3. श्री बालागुरू जी - उप सचिव

2. सर्वप्रथम माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। माननीय सभापति ने समिति को बताया कि श्री टी. आर. बालू, संसद सदस्य और डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्य ने कथित तौर पर अनादरपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार के लिए मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार के विरूद्ध दिनांक 14.05.2020 की विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं दी हैं। माननीय सभापति ने समिति को यह भी बताया कि श्री टी. आर. बालू, संसद सदस्य जिनसे समिति के समक्ष साक्षी के रूप में साक्ष्य देने के लिए अनुरोध किया गया था, को किसी

अत्यावश्यक कार्य के कारण दिल्ली से बाहर जाना पड़ा था इसलिए वह मौखिक साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

[डॉ.कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्य को अंदर बुलाया गया]

3. माननीय सभापति ने साक्षी को बताया कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 275 के अंतर्गत समिति के समक्ष साक्ष्य को समिति का प्रतिवेदन और इसकी कार्यवाही लोक सभा में प्रस्तुत किए जाने तक गोपनीय समझा जाता है। साक्षी, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्य का शपथ दिलाकर साक्ष्य लिया गया।

[तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए]

4. xxx xxx xxx xxx

5. xxx xxx xxx xxx

6. xxx xxx xxx xxx

7. तत्पश्चात, माननीय सभापति ने सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया जिन्होंने कोविड-19 से संबंधित विभिन्न समस्याओं के बावजूद बैठक में **भाग** लिया।

8. समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

विशेषाधिकार समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को 1130 बजे से 1418 बजे तक समिति कमरा सं.-3, ब्लॉक- `ए`, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सुनील कुमार सिंह – माननीय सभापति

सदस्य

2. श्री टी. आर. बालू
3. श्री सी. पी. जोशी
4. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
5. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
6. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर
7. प्रो. अच्युतानंद सामंत
8. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
9. श्री गणेश सिंह

सचिवालय

श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
श्री बालागुरू जी. - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, माननीय सभापति ने उस आइटम पर चर्चा शुरू की जो तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव के खिलाफ कथित रूप से उनके अनुचित व अपमानजनक व्यवहार के लिए 14.05.2020 को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की दी गई सूचना से संबंधित है और समिति के सदस्यों को इस बात का स्मरण कराया कि इस मामले में डॉ. कालानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्य, का साक्ष्य पहले ही हो चुका है और अब श्री टी. आर. बालू, संसद सदस्य, का साक्ष्य लिया जाना है।

श्री टी. आर. बालू, संसद सदस्य, को अंदर बुलाया गया और शपथ दिलाकर उनका साक्ष्य लिया गया)

(तत्पश्चात्, सदस्य साक्ष्य देकर चले गए)

3.	xxx	xxx	xxx	xxx
4.	xxx	xxx	xxx	xxx
5.	xxx	xxx	xxx	xxx
6.	xxx	xxx	xxx	xxx

7. समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

विशेषाधिकार समिति (17वीं लोक सभा) की सोलहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 09 दिसम्बर, 2021 को 1500 बजे से 1545 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सुनील कुमार सिंह - माननीय सभापति

सदस्य

2. श्री दिलीप घोष
3. श्री सी.पी. जोशी
4. श्री तालारी रंगैय्या
5. श्री राजीव प्रताप रूडी
6. प्रो. अच्युतानंद सामंत
7. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
8. श्री गणेश सिंह

सचिवालय

श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
श्री बाला गुरू जी - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात, समिति ने श्री टी. आर. बालू और डॉ. कलानिधि वीरास्वामी,

संसद सदस्यों द्वारा तमिलनाडु के मुख्य सचिव के ख़िलाफ़ दिनांक 14 मई, 2020 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाओं और दिनांक 16 मई, 2020 को दी गई तदनंतर सूचना पर विचार किया जिनमें मुख्य सचिव पर उनके साथ अभद्र और अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था।

3. तत्पश्चात, इस मामले में साक्षी, श्री के. शनमुगम, मुख्य सचिव (सेवानिवृत) को अंदर बुलाया गया और शपथ दिलाकर उनका साक्ष्य लिया गया।

(तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गए)

4. समिति की बैठक की शब्दश: कार्यवाही की एकप्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

***

विशेषाधिकार समिति (17वीं लोक सभा) की इक्कीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 09 मार्च, 2022 को 1200 बजे से 1432 बजे तक समिति कक्ष 3, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सुनील कुमार सिंह – माननीय सभापति

सदस्य

2. श्री कल्याण बनर्जी
3. श्री राजू बिष्ट
4. श्री दिलीप घोष
5. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
6. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
7. श्री गणेश सिंह

सचिवालय

श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
श्री बाला गुरू जी - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. xxx xxx xxx xxx

4. xxx xxx xxx xxx

5. xxx xxx xxx xxx

6. xxx xxx xxx xxx

7. xxx xxx xxx xxx

8. तत्पश्चात, समिति ने श्री टी. आर. बालू और डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्यों द्वारा कथित तौर पर अनादरपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार के लिए मुख्य सचिव, तमिलनाडु के विरूद्ध दी गई दिनांक 14 मई, 2020 की विशेषाधिकार हनन की सूचनाओं और 16 मई, 2020 की उत्तरवर्ती सूचना संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया। इस मामले में कुछ विचार-विमर्श के बाद, समिति द्वारा प्रतिवेदन को स्वीकार किया गया।

9. समिति की बैठक की कार्यवाही की शब्दशः प्रति रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

***

परिशिष्ट

परिशिष्ट-एक

टी.आर.बालू, संसद सदस्य

दिनांक: 14/05/2020

सेवा में,
श्री ओम बिरला जी,
माननीय अध्यक्ष,
लोक सभा,
नई दिल्ली।

विषय: श्री षणमुगम, मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध 13.05.2020 को अशिष्ट और अपमानजनक व्यवहार के लिए विशेषाधिकार की सूचना।

आदरणीय महोदय, वणक्कम।

1. अधोहस्ताक्षरी ने लोकसभा के तीन अन्य सदस्यों, अर्थात् श्री दयानिधि मारन, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी और डॉ. टी. समुति (ए) तामिझाची थंगापडियन जो क्रमशः चेन्नई के मध्य, उत्तर और दक्षिण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते है, के साथ तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव से चेन्नई सचिवालय में उनके कार्यालय में कल शाम यानी 13 मई, 2020 को 17.00 बजे मुलाकात की। यह एक विधिवत निर्धारित बैठक थी।

2. बैठक का उद्देश्य कोविड 19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित याचिकाकर्ताओं के लिए सहायता और मदद की मांग करते हुए समय से राहत उपलब्ध कराने का अनुरोध करने के लिए पूरे तमिलनाडु के लोगों से प्राप्त 1 लाख अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। वास्तव में मेरे नेता और डीएमके पार्टी के अध्यक्ष और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ. एम.के. स्टालिन द्वारा हाल ही में "ओंड्रिनैवोम वा" शीर्षक से शुरू की गई कार्य योजना के जवाब में (आइए, हम एकजुट हों) 15 लाख से अधिक याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। इस योजना के अंतर्गत, हमारी पार्टी के नेता माननीय श्री एम.के.स्टालिन ने एक कॉल जारी कर तमिलनाडु के उन सभी लोगों, जो घातक कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं, से मदद और समर्थन हेतु अनुरोध करने के लिए कहा था। हमारी डीएमके पार्टी इकाइयों द्वारा राज्य भर में 14 लाख याचिकाओं, जिन पर हम कार्रवाई करते हैं और रहत प्रदान करते हैं, के संबंध में याचिकाकर्ताओं को उपयुक्त राहत प्रदान करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की

गई। शेष 1 लाख याचिकाएं तमिलनाडु सरकार द्वारा अपने विभिन्न विभागों और कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली कार्रवाई के मामलों से संबंधित थीं। इसलिए, जैसा कि आप जानते हैं, चूंकि मैं, डीएमके संसदीय दल का नेता हूं, मेरे नेता डॉ. एम.के. स्टालिन ने मुझे सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ले जाने का निदेश दिया था, जिसमें लोकसभा से उपर्युक्त संसद सदस्य शामिल हों। यह तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव के साथ कल हमारी बैठक की पृष्ठभूमि थी।

3. जैसा कि मैंने यहां पहले उल्लेख किया है, यह नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए पहले से निर्धारित बैठक थी। फिर भी, तमिलनाडु के इस सर्वोच्च पद वाले अधिकारी और राज्य के सबसे अधिक वरिष्ठ आईएएस ने जिस तरह से हमारा अभिवादन किया और हमारे साथ व्यवहार किया वह अवमानना और अपमान से कुछ भी कम नहीं था। सर्वप्रथम, उनके व्यवहार से जरा सा भी ऐसा लगा ही नहीं कि वो सांसदों के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल की अगवानी कर रहे हैं, वह भी हम जैसे दो, मैं और थिरु दयानिधि मारन, जो कि कई बार सांसद रहने के अलावा, केंद्र में एनडीए/यूपीए की सरकारों में केन्द्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने हमें आने और बैठने के लिए कहने के बुनियादी न्यूनतम शिष्टाचार का भी पालन नहीं किया। इसकी बजाय, वह अपनी सीट से उठकर, चैंबर की एक ओर गए और सोफा सेट पर बैठ गए। हमें स्वयं ही वहाँ जाकर सोफे पर बैठना पड़ा।

4. मुख्य सचिव के असभ्य व्यवहार की परवाह न करते हुए, हमने राज्य भर के लोगों से प्राप्त 1 लाख याचिकाओं को प्रस्तुत किया, जिसमें सभी प्रकार की मदद और सहायता की मांग की गई थी, जो हमारे द्वारा 14 विशाल पेटी में ले जाई गई थी। हमने उन्हें धैर्य के साथ मुख्य सचिव के अपमानजनक आचरण से उत्पन्न क्रोध की भावना, हमारे आने के उद्देश्य के बारे में बताया और उनसे लोगों की याचिकाओं, जो गरीब लोगों के जीवन और आजीविका के मुद्दों से संबंधित थीं, पर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया। लेकिन, अधिकारी इस मामले में न्यूनतम चिंता और रुचि दिखा रहे थे, और गौर से टीवी देख/सुन रहे थे, जो अपनी पूरी ध्वनि में चल रहा था। हमारे सहयोगी डॉ. कलानिधि, संसद सदस्य के इशारे को देखते हुए वहां मौजूद एक स्टाफ से टीवी की ध्वनि को कम करने के लिए गया, लेकिन मुख्य सचिव ने उसे ध्वनि कम न करने का आदेश दिया। हमें इस तरह का अशोभनीय व्यवहार झेलना पड़ा। मैंने, मुख्य सचिव से कहा कि वह हमें हमारे

माध्यम से सरकार को दी गई लोगों की याचिकाओं पर कार्रवाई करने की समय-सीमा के बारे में बताएं, ताकि लोगों को सूचित किया जा सके। मुख्य सचिव ने करारा जवाब दिया और कहा कि उनके पास इस काम के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं, और इसलिए, वह स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते कि सरकार कब और क्या कार्रवाई करेगी।

5. हमें अवांछित मेहमान होने का एहसास हुआ और हम बचे हुए सम्मान और आदर की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए। जाते समय, मैंने फिर से श्री षणमुगम, मुख्य सचिव से यह कह कर एक विनम्र अनुरोध किया: "महोदय, कृपया प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कागजात देखें क्योंकि राज्य के लाखों लोग तत्काल राहत के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं"। लेकिन, इस अधिकारी ने जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ और वह भी हमारे साथ, चार सांसदों, जो सामूहिक रूप से 1 करोड़ से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, के साथ कैसे व्यवहार करना है, को पूरी तरह नजरंदाज करते हुए, अपमानजनक तरीके से हम पर चिल्लाया। उन्होंने जो कहा मैं उसे उद्धृत करता हूं: "आप लोगों के साथ यही समस्या है। बाहर जाते समय आप मीडिया से मिलना और कुछ कहना चाहते हैं। जाएं और प्रेस से जो कहना चाहते हैं कहें। हमें इसकी कोई चिंता नहीं हैं।" हम वास्तव में तमिलनाडु राज्य के प्रशासन का नेतृत्व करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी के इस तरह के शत्रुतापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार से स्तब्ध थे।

6. महोदय, मैं इस बात की पुष्टि करूंगा कि मैंने भारत में इससे कहीं अधिक उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ हुई अपनी असंख्य बैठकों में कहीं भी ऐसा अपमानजनक आचरण और व्यवहार नहीं देखा है।

7. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं 13.05.2020 को चेन्नई क्षेत्र के विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले हम लोगों, चार सांसदों द्वारा सामना किए गए मुख्य सचिव, तमिलनाडु के उतावले व्यवहार, जब हम सार्वजनिक कारण और हित में उनसे मिले, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए बाध्य हूं। । आशा है कि आप उपरोक्त मुद्दे पर पूरी गंभीरता से विचार करेंगे, नहीं तो ऐसा न हो कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों के

प्रति असंवेदनशील नौकरशाहों द्वारा अवमानना और कठोरता का व्यवहार किया जाए।

8. बैठक के तुरंत बाद, हमने मीडिया से मुलाकात की और तमिलनाडु के मुख्य सचिव श्री षणमुगम द्वारा हमारे साथ किए गए खराब व्यवहार के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद, मैंने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी तथ्यों को राज्य के लोगों के सामने रखा, जिसमें मैंने उक्त अधिकारी के अनुचित व्यवहार की निंदा करने के अलावा, उनसे तत्काल खेद और माफी की मांग की, ऐसा न करने पर हम इस मामले को उपयुक्त कार्रवाई के लिए आपके सामने उठाएंगे, क्योंकि यह निजी रूप से व्यक्ति की अवमानना से उत्पन्न दुर्व्यवहार का मामला नहीं है, बल्कि, स्पष्ट रूप से संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की अवमानना का एक बड़ा मामला है। लेकिन, जैसा कि अपेक्षित था, तमिलनाडु सरकार के इस उच्च पदस्थ अधिकारी, जिसे राज्य की पूरी नौकरशाही द्वारा अनुकरणीय उदाहरण माना जाता है, ने अब तक खेद का एक शब्द भी व्यक्त नहीं किया है।

9. महोदय, उपरोक्त दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं, आपसे इस मामले पर अपेक्षित विचार करने और जल्द-से-जल्द तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव श्री षणमुगम के विरुद्ध विशेषाधिकार के उल्लंघन की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध करता हूं, ताकि इससे न केवल संसद सदस्यों का विशेषाधिकार और सम्मान सुनिश्चित होगा बल्कि यह संसदीय लोकतंत्र के अधिकार के लिए कम सम्मान रखने वाले नौकरशाहों के लिए एक भयप्रतिकारक के रूप में भी कार्य करेगा होगा।

सम्मान के साथ आपका धन्यवाद।

भवदीय,

(टी.आर.बालू, संसद सदस्य)
संसद में डीएमके पार्टी के नेता

सेवा में,

श्री ओम बिरला,
माननीय अध्यक्ष,
लोक सभा, नई दिल्ली।

विषयः दिनांक 13.05.2020 को चार संसद सदस्यों के साथ हुए अनादरपूर्ण व अपमानजनक व्यवहार के लिए तमिलनाडु के मुख्य सचिव श्री षणमुगम के खिलाफ विशेषाधिकार की सूंचना के संबंध में.....

आदरणीय श्री ओम बिरला जी,

1. अधोहस्ताक्षरी की मुलाकात कल शाम यानी 13 मई, 2020 को 17.00 बजे तमिलनाडु के मुख्य सचिव से चेन्नई स्थित राज्य सचिवालय के उनके कार्यालय में हुई और इस मुलाकात में उनके साथ क्रमशः श्री पेरम्बुदुर, चेन्नई केंद्रीय और चेन्नई दक्षिण संसदीय क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करने वाले तीन संसद सदस्य श्री टी. आर. बालू, श्री दयानिधि मारन और डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन भी थे। यह यथासमय तय मुलाकात थी।

2. इस मुलाकात का उद्देश्य तमिलनाडु के लोगों से प्राप्त 15 लाख से भी अधिक अभ्यावेदनों में से एक लाख अभ्यावेदनों को उन्हें देना था जिनमें कोविड टी19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित याचिकाकर्ताओं को समय से राहत व सहायता प्रदान करने की मांग की गई थी। दरअसल, लगभग 15 लाख से भी अधिक याचिकाएं हमारे नेता और डीएमके पार्टी अध्यक्ष और तमिलनाडु विधान सभा में विपक्ष के नेता श्री एम. के. स्टालिन को उनके द्वारा `ओनड्रिनैवोम` (आइए, हम सब एकजुट हों) शीर्षक से हाल ही में शुरू की गई कार्ययोजना के जवाब में प्राप्त हुई थी। इस योजना के तहत हमारे पार्टी नेता माननीय थिरू एम. के. स्टालिन ने तमिलनाडु के लोगों का उनसे यह कहते हुए आह्वान किया था कि वे जानलेवा कोरोना वायरस से प्रभावित हुए सभी लोगों की मदद व सहायता के निमित्त अनुरोध के साथ आगे आएं। हमारी डीएमके पार्टी यूनिटों ने उन 14 लाख याचिकाओं के संदर्भ में जिन पर हमने कार्रवाई की और राहत पहुंचाया, पूरे राज्य में याचिकाकर्ताओं को उचित राहत प्रदान करने के निमित्त तत्काल आवश्यक कार्रवाई की। शेष एक लाख याचिकाएं उन मामलों से संबंधित थीं जिनमें तमिलनाडु की राज्य सरकार और भारत सरकार की ओर से उनके भिन्न-भिन्न विभागों और कार्यालयों के जरिए कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता थी। इसलिए, हमारे नेता

थिरू एम. के. स्टालिन ने सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल को उनमें लोक सभा के उक्त वर्णित संसद सदस्यों और मुझे शामिल करते हुए इसके लिए निदेश दिया था। तमिलनाडु के मुख्य सचिव से हमारी कल की मुलाकात की यही पृष्ठभूमि थी।

3. जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह मुलाकात यथोचित प्रक्रिया के उपरांत तय की गई थी। फिर भी, तमिलनाडु के इस उच्च पदस्थ अधिकारी और राज्य के वरिष्ठतम आईएएस ने जिस तरह से हम लोगों की अगुवाई की और जैसा हमलोगों के साथ व्यवहार किया वह अवमाननापूर्ण व अपमानजनक था। सबसे पहले तो उन्होंने इस बात का ही आभास नहीं कराया कि कई बार संसद सदस्य रहने के अलावा केंद्र में एनडीए/यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके विशेषकर थिरू टी. आर. बालू और थिरू दयानिधि मारन जैसे वरिष्ठ संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल का आगमन है। यहां तक कि उन्होंने हमारे साथ हमें आने और बैठने के लिए कहने का बुनियादी न्यूनतम शिष्टाचार भी नहीं निभाया। बजाय इसके वे अपनी सीट से उठे और कमरे में चलकर वहां सोफे पर बैठ गए। हमलोगों को वहां जाना पड़ा और उनके कहे बिना हमें खुद ही सोफे पर बैठना पड़ा।

4. मुख्य सचिव के असभ्य व्यवहार की परवाह किए बिना हमने उन्हें राज्यभर के लोगों से मिले और 14 बड़े बाक्सा में लाए गए उन एक लाख याचिकाओं को सौंपा जिनमें हर तरह की सहायता व राहत की मांग की गई थी। हमलोगों ने मुख्य सचिव के नीचा दिखानेवाले आचरण से हुई चिड़चिड़ाहट पर काबू करते हुए धैर्य के साथ उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि हमलोगों का उनसे मिलने का प्रयोजन क्या है और उनसे यह अनुरोध किया कि लोगों की उन याचिकाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए क्योंकि वे सभी याचिकाएं गरीब लोगों के जीवन और उनकी आजीविका से जुड़ी समस्याओं से संबंधित हैं। किंतु, वे अधिकारी इस मामले में न के बराबर दिलचस्पी व रूचि दिखा रहे थे और टकटकी निगाह से काफी तेज आवाज में टीवी देख/सुन रहे थे। जब मैंने टीवी की आवाज को कम करने के लिए कहा, जैसाकि चर्चा में बातें सुनाई नहीं दे रही थीं, तो वहां उपस्थित एक कर्मचारी टीवी की आवाज कम करने के लिए आगे बढ़ा, पर मुख्य सचिव और उनके एक सहकर्मी श्री कृष्णन ने उसे आवाज कम न करने का आदेश दिया। हमलोगों को चुपचाप इस तरह की हरकत को सहते रहना पड़ा। थिरू टी. आर. बालू ने मुख्य सचिव से पूछा कि आप यह बताएं कि हमलोगों की ओर से सरकार को लोगों की जो याचिकाएं दी गई हैं उन पर वे कब तक कार्रवाई शुरू करेंगे ताकि हमारे पार्टी नेता और लोगों को इससे अवगत कराया जा सके। मुख्य सचिव ने रूखाई से जवाब दिया और बताया कि इस काम के लिए उनके पास पर्याप्त

कर्मचारी नहीं है और वे स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सकते कि सरकार की ओर से कब और क्या कार्रवाई हो सकती है।

5. हमें स्पष्ट रूप से यह महसूस हुआ कि हमलोग अवांछनीय मेहमान हैं और हमलोग चलने के लिए उठ खड़े हुए। चलते समय मैंने मुख्य सचिव श्री षणमुगम से एक बार फिर यह कहते हुए विनम्र अनुरोध कियाः "महोदय, कृपया प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई हेतु इन कागजों को देखें क्योंकि राज्य के लाखों लोग तत्काल राहत के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं।" पर, इस अधिकारी ने इस बात की घोर अज्ञानता में कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और वह भी हम चार संसद सदस्यों के साथ जो सामूहिक रूप से एक करोड़ से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमलोगों पर अपमानजनक तरीके से चिल्लाया। उन्होंने जो कहा उसे मैं उद्धृत करता हूँ "यही तो समस्या आप लोगों के साथ है। बाहर जाते हुए आपलोग मीडिया से मिलना चाहते हैं और वहां कुछ कहना चाहते हैं। जाइए और आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं प्रेस में कह दीजिए। हमें तनिक भी चिंता नहीं है।" तमिलनाडु राज्य के प्रशासन की अगुवाई करने वाले किसी वरिष्ठ अधिकारी के ऐसे प्रतिकूल व अपमानजनक व्यवहार पर हमलोग सचमुच अवाक थे। महोदय, मेरा मानना है कि उन चार सांसदों की बात ही छोड़ दीजिए जिनमें दो तो वरिष्ठ हैं और यूपीए एवं एनडीए दोनों ही सरकारों में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इस तरह का व्यवहार तो आम नागरिकों के साथ भी नहीं होना चाहिए।

6. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान तमिलनाडु के मुख्य सचिव के उस दुस्साहसी व्यवहार की ओर आकृष्ट कराने के लिए बाध्य हूं जिसका सामना चेन्नई के विभिन्न लोक सभा क्षेत्रों और श्री पेरम्बुदुर संसदीय क्षेत्र के हम चार संसद सदस्यों को 13.05.2020 को उस समय करना पड़ा था जब हमलोग उनसे जनकल्याण व जनहित के लिए मिलने गए थे। मैं आशा करता हूं कि आप उक्त मामले की पूरी गंभीरता से सराहना करेंगे जिसके लिए यह हकदार हैं, नहीं तो जनता के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक संस्थानों के अधिदेश व उनके मूल्यों के प्रति असंवेदनशील नौकरशाहों के हाथों अवमाननापूर्ण व मनमाना व्यवहार सहते रहना पड़ेगा।

7. इस मुलाकात के शीघ्र बाद हम मीडिया में गए और वहां हमने विस्तार से यह बताया कि तमिलनाडु के मुख्य सचिव श्री षणमुगम के हाथों हमारे साथ ओछा व्यवहार किया गया। तदनन्तर थिरू टी. आर. बालू ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए पूरी

सच्चाई को राज्य के लोगों के सामने पेश किया जिसमें उन्होंने उक्त अधिकारी के अनुचित व्यवहार की निन्दा करने के अलावा शीघ्र खेद प्रकट करने और क्षमायाचना की मांग की और ऐसा न किए जाने पर हम आपके समक्ष उचित कार्रवाई किए जाने का मुद्दा उठाना चाहते हैं क्योंकि यह किसी व्यक्ति की अवमानना से जनित दुर्व्यवहार का मामला नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के हनन की निरंकुश कार्रवाई है। लेकिन, जैसाकि अपेक्षित था, तमिलनाडु सरकार के इस उच्च पदस्थ अधिकारी ने जिन्हें राज्य की पूरी नौकरशाही की ओर से एक अनुकरणीय उदाहरण माना जाता है, अब तक खेद का एक शब्द भी व्यक्त नहीं किया है।

8. महोदय, उक्त वर्णित विस्तृत तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी आपसे अपील है कि इस मामले पर सम्यक रूप से विचार किया जाए और तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव श्री षणमुगम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही अतिशीघ्र शुरू की जाए जिससे कि इससे न केवल संसद सदस्यों का सम्मान व विशेषाधिकार सुनिश्चित होगा, बल्कि यह उन नौकरशाहों के लिए हतोत्साहित करने वाली भी होगी जिनमें संसदीय लोकतंत्र की सत्ता के प्रति घोर अनादर का भाव है।

धन्यवाद और सादर

भवदीय

ह./-

(डा. कलानिधि वीरास्वामी)

संसद सदस्य चेन्नई उत्तर

दिनांकः 16.05.2020

सेवा में,

श्री ओम बिरला जी,
माननीय अध्यक्ष,
लोक सभा, नई दिल्ली।

आदरणीय महोदय,

वणक्कम।

कृपया उपर्युक्त विषय पर आपको संबोधित दिनांक 14.05.2020 के मेरे पत्र का संदर्भ लें।

2. मैं आपको उन संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दे चुका हूं जब 13.05.2020 को चेन्नई में तमिलनाडु सरकार के सचिवालय में थिरू षणमुगम, आईएएस, मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार द्वारा अपने कार्यालय में बैठक के दौरान मेरे एवं लोक सभा के तीन अन्य संसद सदस्यों नामतः थिरू दयानिधि मारन, संसद सदस्य; डा. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्य और डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य के साथ साथ दुर्व्यवहार किया गया था।

3. अपने पूर्व के पत्र में उल्लिखित बातों के क्रम में, मैं आगे यह बताना चाहता हूं कि उनका अप्रत्याशित व्यवहार न केवल अपमानजनक था अपितु उसका साफ-साफ और स्पष्ट उद्देश्य मुझे व मेरे नेतृत्व में शिष्टमंडल के अन्य संसद सदस्यों को संसद सदस्य और जनप्रतिनिधि के रूप में सौंपे गए कार्य को करने से रोकना था।

4. जल्दबाजी में की गई बैठक में उन्होंने हमसे जो अमित्रवत् व्यवहार किया उससे उनके कक्ष में प्रवेश करते ही हम हतोत्साहित हो गए और हमें निराशापूर्वक उनसे संबंधित कार्य को पूरा किए बिना ही बैठक समाप्त कर देनी पड़ी। यही नहीं, हमें तिरस्कृत करने के अलावा मुख्य सचिव हमें संसद सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से भी रोकने में सफल रहे।

5. महोदय, मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया उक्तवर्णित तथ्यों का संज्ञान लें और इस मामले को विशेषाधिकार का मामला मानते हुए भारत की लोक सभा द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए जाएं और तदनुसार उचित कार्रवाई की जाए।

धन्यवाद और सादर

भवदीय
ह./-
(टी. आर. बालू, संसद सदस्य)
संसद में द्रमुक दल के नेता

तत्काल /गोपनीय

फा.सं.**124/ 13/2020**-एवीडी-आईए

भारत सरकार

कार्मिक ,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

कमरा सं.270, नॉर्थ ब्लॉक , नई दिल्ली

दिनांक : 17-जुलाई, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : श्री टी. आर. बालू, संसद सदस्य द्वारा मुख्य सचिव, तमिलनाडु के विरुद्ध कथित अभद्र और अपमानजनक व्यवहार के लिए 14 और 16 मई, 2020 को दी गई विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना"।

अधोहस्ताक्षरी को लोकसभा सचिवालय के दिनांक 29.05.2020 के यूओ पत्र संख्या 4/ 15/2020/पीएंडई का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। मामले की जांच की गई है । तमिलनाडु सरकार से पत्र संख्या शून्य दिनांक 30-06-2020 के साथ प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है। उपर्युक्त रिपोर्ट की एक प्रति माननीय संसद सदस्य को उपलब्ध कराए जाने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

यह कार्मिक ,लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्न : दिनांक 30.06.2020 के रिपोर्ट की प्रति।

(के.सी. राजू)

अवर सचिव, भारत सरकार

23094799

सेवा में

लोक सभा सचिवालय,

(विशेषाधिकार और आचार शाखा)

(ध्यानाकर्षण: श्री बाला गुरु जी, उप सचिव, कमरा संख्या 142-ए, संसद भवन, तीसरा तल; नई दिल्ली.

30.06.2020

प्रिय श्री. लोक रंजन,

विषय: तथ्यात्मक रिपोर्ट - शिकायत - के संबंध में।

संदर्भ: 1. दिनांक 9 जून, 2020 का अ. शा. पत्र संख्या 124/13/2020 - एवीडी-I ए/

2. दिनांक 9 जून, 2020 का अ. शा. पत्र संख्या 124/14/2020-एवीडी-आईए

****

मुझे आपका 9 जून, 2020 का अ.शा. पत्र प्राप्त हुआ है। चूंकि दोनों पत्र एक ही मुद्दे से संबंधित हैं, इसलिए मैं एक संयुक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट भेज रहा हूं।

थिरु के. षणमुगम, आईएएस, तमिलनाडु के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं। वह पिछले 35 वर्षों राज्य की से विशिष्ट रूप से सेवा कर रहे हैं और केडर में एक बहुत सम्मानित अधिकारी हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे अधिकारी के विरूद्ध माननीय संसद सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के प्रत्युत्तर में मुख्य सचिव द्वारा 14/5/2020 को मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। रिपोर्ट के आधार पर, मैं घटनाओं के क्रम का वर्णन करना चाहता हूं और आपके विचार के लिए निम्नलिखित विवरण देना चाहता हूं।

12.5.2020 को मुख्य सचिव के निजी सचिव को थिरु एम. अथिसेशन, विशेष पीए , माननीय नेता प्रतिपक्ष, तमिलनाडु से एक संदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने थिरु टी.आर. बालू, संसद सदस्य , के नेतृत्व / अध्यक्षता में माननीय संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्य सचिव से मिलने का समय / बैठक का समय (अपॉइंटमेंट) दिए जाने का अनुरोध किया। चूंकि कलेक्टरों का सम्मेलन 13.5.2020 को निर्धारित किया गया था, मुख्य सचिव ने अपने निजी सचिव को बैठक के प्रयोजन के विवरण के साथ एक पत्र प्राप्त करने के लिए कहा ताकि मिलने का समय तय किया जा सके।थिरु एम. अथिसेशन, माननीय नेता प्रतिपक्ष तमिलनाडु के विशेष पीए ने 13.5.2020 को एक पत्र सौंपा जिसमें थिरु टी आर बालू , संसद सदस्य ,की अध्यक्षता में संसद सदस्यों के एक दल द्वारा डीएमके द्वारा आयोजित "आओ हम एक हो जाएं"योजना के तहत जनता से प्राप्त याचिकाएं सौंपे जाने के प्रस्ताव का उल्लेख था। महामारी नियंत्रण और शमन गतिविधियों के भारी काम के दबाव के बावजूद, मुख्य सचिव ने तुरंत 13.5.2020 को शाम 5.00 बजे संसद सदस्यों के दल से मिलने का समय दिया।

13.5.2020 की शाम को, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के उपायों पर की गई घोषणा के बाद, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री वित्तीय पैकेज के विवरण की घोषणा कर रहे थे।माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री एक राष्ट्रव्यापी प्रसारण में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राहत उपायों के पैकेज का विवरण दे रहे थे और मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, तमिलनाडु सरकार घोषणा की मुख्य विशेषताओं पर ध्यान दे रहे थे। उस समय मुख्य सचिव के कक्ष के प्रवेश द्वार पर संसद सदस्यों की टीम पहुंच चुकी थी। मुख्य सचिव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त को नोट लेना जारी रखने के लिए कहा और संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए पास के सोफे पर चले गए। उनके आगमन पर उन्होंने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उनके सोफे पर बैठने की व्यवस्था की।जब माननीय सदस्य को बैठाया जा रहा था तब संसद सदस्य थिरु टी आर बालू के कहने पर 15 से 20

लोग मुख्य सचिव के कक्ष में घुसे और बड़ी संख्या में याचिकाओं का बंडल लेकर आए।

कोविड -19 महामारी के कारण, बड़ी संख्या में व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध है और 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना कानून द्वारा निषिद्ध है। जबकि केंद्र और राज्य सरकारें वायरस को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं,माननीय सांसदों के साथ 15-20 से अधिक व्यक्तियों के बिना सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखे मुख्य सचिव के कक्ष में जाने से बचना चाहिए था।

15-20 व्यक्तियों के समूह के प्रवेश के बावजूद, मुख्य सचिव ने विनम्रतापूर्वक उनसे याचिकाओं को कमरे में रखने और फोटो और वीडियो लेने से बचने का अनुरोध किया। हालांकि, उनकी आपत्तियों के बावजूद, माननीय सदस्यों के साथ आए लोगों के समूह ने फोटो और वीडियो लेना जारी रखा।

थिरु टी.आर. बालू, माननीय संसद सदस्य ने मुख्य सचिव को सूचित किया कि उनकी पार्टी को उनकी पार्टी के कार्यक्रम के तहत एक लाख से अधिक याचिकाएं प्राप्त हुई हैं और मुख्य सचिव से एक लाख याचिकाओं के समाधान के लिए समय-सीमा देने की मांग की है ताकि उनके नेता को सूचित किया जा सके।ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य सचिव ने यह उत्तर दिया होगा कि शिकायत याचिकाओं की छंटाई करके जिलावार जिला कलेक्टरों को शीघ्र भेजा जायेगा। हालांकि, माननीय संसद सदस्यों ने एक विशिष्ट समय सीमा और एक तारीख बताए जाने पर जोर दिया, जिसके भीतर सभी याचिकाओं का समाधान किया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि लॉकडाउन के कारण सरकारी मशीनरी न्यूनतम कर्मचारियों के साथ ओवरटाइम काम कर रही है और यह बताया कि इसके लिए एक सटीक तारीख नहीं बताई जा सकती है और इसके साथ ही उन्होंने माननीय सांसदों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा लाई गई याचिकाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।जब थिरु टी.आर. बालू, और थिरु दयानिधि मारन, और संसद के अन्य माननीय सदस्यों ने बार-बार एक समय सीमा बताए जाने की मांग की, तो उन्होंने विनम्रता से उन्हें कहा कि अगर सदस्य उनकी स्थिति में होते, तो वे भी एक समय सीमा का सही उल्लेख नहीं कर पाते ।माननीय संसद सदस्यों ने कहा कि जिम्मेदार जन प्रतिनिधियों के रूप में उन्हें एक समय सीमा की आवश्यकता होगी।

ऐसा लगता है कि मुख्य सचिव ने यह कहते हुए जवाब दिया है कि वह भी एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी हैं, और पूरी सरकारी मशीनरी महामारी को नियंत्रित करने के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। ऐसा लगता है कि संसद सदस्य थिरू टी.आर. बालू ने मुख्य सचिव से पूछा था कि क्या वह अपने नेता को सूचित कर सकते हैं कि मुख्य सचिव ने कर्मचारियों की कमी के कारण एक लाख याचिकाओं के निपटान के लिए एक विशिष्ट तिथि का उल्लेख करने से इनकार कर दिया। यह ज्ञात हुआ है कि मुख्य सचिव ने अपना आश्वासन दोहराया था कि एक लाख याचिकाओं पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी.

इसलिए यह बहुत स्पष्ट है कि मुख्य सचिव का माननीय संसद सदस्यों का अनादर करने का कोई इरादा नहीं था।उन्होंने महामारी के समय में आ रही कठिनाइयों को बताते हुए यह कहा था कि सरकार का ध्यान पूरी तरह से महामारी के प्रबंधन पर है, इसके साथ ही माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया था कि उनके द्वारा लाई गई याचिकाओं पर कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी।जिन माननीय सदस्यों ने लंबे समय तक सार्वजनिक सेवा में काम किया है, उन्हें यह समझना चाहिए था कि सरकार महामारी के रूप में एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है जो संकट को दूर करने के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ

प्रयास कर रही है।

यह आरोप कि जब माननीय सदस्य उनसे बात कर रहे थे, मुख्य सचिव टेलीविजन देख रहे थे, गलत प्रतीत होता है, क्योंकि प्रमुख तमिल दैनिकों में प्रकाशित तस्वीरों पर सरसरी निगाह भी कुछ और ही संकेत करती है। माननीय सदस्यों को सोफे पर आराम से बैठाया गया और कमरे के नक़्शे /लेआउट के अनुसार, मुख्य सचिव के लिए सोफे पर बैठे हुए टीवी देखना संभव नहीं है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, भी कमरे में थे, उन्होंने माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर ध्यान देना जारी रखा और टेलीविजन की आवाज़ कम थी और मुख्य सचिव और माननीय संसद सदस्यों के बीच बातचीत में कोई बाधा नहीं थी।

माननीय संसद सदस्यों द्वारा मुख्य सचिव के व्यवहार की सराहना किए जाने की बजाय कि मुख्य सचिव ने उनका अनुरोध प्राप्त होने के तुरंत बाद मिलने का समय तय किया और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए संसद सदस्यों का स्वागत किया और उनसे मिलने के लिए समय दिया और मीडिया को बयान जारी किया।

यह भी सूचित किया जाता है कि एक लाख याचिकाएं प्राप्त होने के तुरंत बाद मुख्य सचिव ने तत्काल राज्य सरकारों की विशेष शिकायत निवारण एजेंसी अर्थात मुख्यमंत्री विशेष प्रकोष्ठ को निर्देश दिया कि वे याचिकाओं को कार्यालय-वार, विभाग-वार विधिवत स्कैन करके त्वरित समाधान और निपटान के लिए संबंधित अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करें।

मुख्य सचिव जो एक काफी सम्मानित और वरिष्ठ अधिकारी हैं, ने असाधारण स्थिति के बावजूद, माननीय सदस्यों के कहने पर उन्हें मिलने का समय दिया था, सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें उचित रूप से बैठाया, उनकी बात ध्यान से सुनी और एक लाख याचिकाओं पर कार्रवाई करने का वादा किया और शिकायतों के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई भी शुरू की। मुख्य सचिव ने दिनांक 14.5.2020 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने कभी भी किसी का अपमान करने या निरादर करने के बारे में सोचा भी नहीं है।

अत: उपरोक्त से यह पता चलता है कि मुख्य सचिव ने माननीय संसद सदस्यों के साथ बातचीत में अनादर या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया है।उनके मन में निर्वाचित और जनप्रतिनिधियों के प्रति अत्यधिक सम्मान है।

सादर,

भवदीय

प्रति
श्री लोक रंजन, अपर सचिव, भारत सरकार,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली-110001.